

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 888 /मी0क्षे0/33, मीरजापुर, दिनांक अगस्त, 25- 2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं0 0.000 से 61.500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 10.62हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल प्रभावित 45.2925हे0 आरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक- 8बी/यू0पी0/06/251/2021/एफ.सी./715, दिनांक-04.02.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके माध्यम से भारत सरकार के संदर्भित पत्रों द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी।

उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-342/ओबरा/15-भू0ह0, दिनांक 16.08.2025 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वांछित बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा प्रेषित बिन्दुवार अनुपालन आख्या एतदसह संलग्नकर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृती (स्टेज-2) जारी कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष मिस्तल)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या- 888 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग को उनके पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मिस्तल)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
पत्रांक 342/ओबरा/15-भू0ह0 दिनांक-16-08-2025.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं0 0.000 से 61.500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 10.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल प्रभावित 45.2925हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/251/2021/एफ0सी0/715 दिनांक-04.02.2022 तथा अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक-1991/67135 दिनांक-12.12.2023.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 34.6725 व कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत 10.62हे0 कुल 45.2925हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/251/2021/एफ0सी0/715 दिनांक-04.02.2022 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी किया गया। जिसका बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-3055/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-16.06.2022 तथा पत्रांक-3062/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-17.06.2022 द्वारा प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया। प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1991/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी बिन्दुवार अनुपालन आख्या के अनुसार बिन्दुवार अनुपालन आख्या तैयार किया गया है। महोदय को अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-332/33-1 दिनांक-01.08.2025 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या के अनुसार तैयार किया गया बिन्दुवार अनुपालन आख्या तथा प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर का पत्र संख्या-332/33-1 दिनांक-01.08.2025 चार प्रतियों में संलग्नक सहित सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(दिलीप कुमार तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या- 342 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी सोनभद्र महोदय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बिन्दुवार अनुपालन आख्या को नियमानुसार परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

(दिलीप कुमार तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

ole

जनपद-सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षों/पौधों के पातन हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/251/2021/एफ0सी0/715 दिनांक- 04.02.2022 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति का बिन्दुवार अनुपालन आख्या:-

क0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/251/2021/एफ0सी0/715 दिनांक-04.02.2022 में लगायी गयी शर्त	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-1)
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि 45.2925 हे0 गैर वन भूमि वन विभाग के खाते में अमलदरामद हो चुका है। प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा उद्धरण खतौनी की प्रति संलग्न किया गया है। (संलग्नक-2 से 2/21 तक)
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an equivalent area of 45.2925 ha. non forest land 4.2263 ha. in village Devhar. 2.7 ha. in Perh Patch-1, 1.518 ha. in Perh Patch-2, 1.9045 ha. in Perh Patch-3, 1.2 ha. in Perh Patch-4. 33.7437 ha. in village Rampur, Range Robertsganj, District -Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित हो रहे वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 की वांछित कुल धनराशि मु0 40691927.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वांछित कुल धनराशि मु0 7483300.00 सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act. 1927. Or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि 45.2925हे0 गैर वन भूमि वन विभाग के खाते में अमलदरामद हो चुका है तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1412/81-2-2025-29(16)-2025 दिनांक -22.07.2025 द्वारा 7.3225हे0 तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1407/81-2-2025-29(15)-2025 दिनांक-22.07.2025 द्वारा 37.97हे0 कुल 45.2925हे0 भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 29 की विज्ञप्ति जारी हो चुका है। विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-4 से 4/6 तक)
5	The cost compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित हो रहे वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 की वांछित कुल धनराशि मु0 40691927.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण, सीमांकन तथा सर्वेक्षण हेतु वांछित कुल धनराशि 7483300.00

	deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 year. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)
6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 45.2925 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित हो रहे वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वनीकरण एवं एनपीवी0 की वांछित कुल धनराशि मु0 40691927.00 का भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में कर दिया गया है। जिसमें एनपीवी0 की वांछित कुल धनराशि मु0 33208627.00 सम्मिलित है। भुगतान रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land. If any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-5)
8	All the procedural formalities should be followed in view of the Model Code of conduct enforced due to upcoming U.P. State Assembly Election.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-6)
9	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित कुल 1114 वृक्षों के छपान/गणना/पातन हेतु वांछित धनराशि मु0 25622.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा सोनभद्र के नाम भुगतान किया गया है। बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न है (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-7) एवं वृक्षों के पातन एवं दुलान आदि पर होने वाले व्यय की निर्धारित धनराशि उ0प्र0 वन निगम रेनुकूट द्वारा मांग किये जाने एवं उसे जमा किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-7)
10	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-8)

11	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Area.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-09)
12	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-10)
13	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-11)
14	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-12)
15	No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-13)
16	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-14)
17	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-15)
18	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of the project work.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-16)
19	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि इस बिन्दु के अनुपालन में समस्त शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।
20	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-17)
21	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-18)
22	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि वर्तमान में तकनीकी कारणों से e-green watch portal ओपेन नहीं हो रहा है, जिस कारण हस्तान्तरण हो रहे भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु चयनित भूमि का के0एम0एल0 फाईल अपलोड किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

	details before commencement of work.	पोर्टल ओपेन होते ही हस्तान्तरण हो रहे भूमि एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का के0एम0एल0 फाईल e-green watch portal पर अपलोड कर दिया जायेगा।
23	Site inspection shall be done before issuing approval for Stage-II.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-19)
24	NBWL clearance needs to be submitted.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-20)
25	An undertaking needs to be submitted by user agency for abiding by all conditions imposed in Wildlife clearance.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक-12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-21)
26	Undertaking to be given by the user agency for not initiating any works in Protected area (P.A) till clearance from NBWL is obtained. Concerned DFO should ensure that no works are executed in Protected rear (P.A) till NBWL clearance is obtained.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक -12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-22)
27	If clearance from NBWL is not granted then this principle approval shall stand revoked impromptu and no claim shall be made by the user agency for works done in area outside Protected Area (P.A)	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक -12.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि इस बिन्दु के अनुपालन में समस्त शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।
28	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक -12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-23)
29	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक -12.12.2023 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-24)
30	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1191/67135 दिनांक- 12.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा में जमा कराने की सत्यापित प्रति संलग्न है। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-3)
31	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:// parivesh .nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि परिवेश में प्रभाग स्तर से अनुपालन आख्या e-portal (https:// parivesh.nic.in) अपलोड किये जाने हेतु विकल्प प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अतः समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वन अधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र।

पत्रांक :
सेवा में,

दिनांक :

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
जनपद - सोनभद्र।

जिलाधिकारी
सोनभद्र

विषय :-

जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि० सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्ल्यू०ई०) के अन्तर्गत पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चै० ०.००० से ६१.५०० तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित ३४.६७२५ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक १११४ वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित १०.६२ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक १९४ वृक्षों के पातन अर्थात् कुल प्रभावित ४५.२९२५ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक १३०८ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

- (१) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या - ८बी/यू०पी०/०६/२५१/२०२१/एफ०सी०/७१५ दिनांक ०४.०२.२०२२
(२) आपका पत्रांक- ११३९/ओबरा/१५ भू०ह० दिनांक, ०६.११.२०२३

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (१) द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) रसीद (आन-लाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित ०५-०५ प्रतियाँ सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है-

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	इस बिन्दु के अनुपालन में खतौनी की प्रति संलग्न है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 45.2925 ha. non forest land 4.2263Ha in Vill. Devhar, 2.70Ha in Perh Patch-1, 1.518Ha. in Perh Patch-2, 1.9045Ha. in Perh Patch-3, 1.20Ha. in Perh Patch-4, 33.7437Ha. in vill. Rampur, range - Robertsganj, District Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि ४५.२९२५ हे० का क्षतिपूर्क वनीकरण की धनराशि ₹० ७४८३३००.००/- (ओबरा वन प्रभाग) दिनांक २२.०६.२०२२ को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 150906159458456 एवं ₹० ४६४६०००.०० (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) दिनांक २०.१०.२०२३ को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 150906159458990 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and muted in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under section 4 or section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the state forest act as the case may be will be submitted by the State Government prior to stage-II	इस बिन्दु के अनुपालन में खतौनी की प्रति संलग्न है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष उपलब्ध गैर वन भूमि का सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्थायी स्तम्भों के निर्माण हेतु वांछित धनराशि ₹० ३७७१२८.००/- को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 150906159458990 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
6	The State Government shall charge the net present Value (NPV) for the 45.2925 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30-10-2022, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-c(pt. II) dated 18-09-2002, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03-10-2006 and 5-3/2007-FC Dated 05-02-2009	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि ४५.२९२५ हे० का एन०पी०वी० की धनराशि ₹० ३३२०८६२७.००/- (ओबरा वन प्रभाग) दिनांक २२.०६.२०२२ को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 150906159458456 एवं ₹० ५१९०६२१७.०० (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) दिनांक २०.१०.२०२३ को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 150906159458990 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।

7	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert Committee, shall be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking the effect.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	All the procedural formalities should be followed in view of the model Code of conduct enforced due to upcoming U.P. State Assembly Election.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	User agency shall restrict the felling of trees to 1308 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and by the Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित 1114 पौधों/वृक्षों गणना, छपान/पातन हेतु धनराशि ₹0 25622.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, सोनभद्र एवं 194 पौधों/वृक्षों गणना, छपान/पातन हेतु धनराशि ₹0 4462.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को उपलब्ध करा दिया गया है (डी0डी0 की छाया प्रति संलग्न है) एवं वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	The Complete Compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	The user agency shall provided suitable under/over pass in Protected Area/Forest area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	The layout plan of the proposal shall not be change without prior approval of Central Government.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	No labour camp shall be established on the forest land.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
18	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
19	The period of diversion this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के अनुपालन में समस्त शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।
20	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
21	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on e-green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि से सम्बन्धित क्षेत्र की के0एम0एल0, सी0ए0 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को कार्य प्रारम्भ होने से पहले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभाग को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
23	Site inspection shall be done before issuing approval for state-II	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
24	NBWL clearance needs to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
25	An undertaking needs to be submitted by user agency for abiding by all conditions imposed in Wildlife clearance.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

26	Undertaking to be given by the user agency for not initiating any works in Protected area (P.A) till clearance from NBWL is obtained. Concerned DFO should ensure that no works are executed in protected rear (P.A) till NBWL clearance is obtained.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
27	If clearance from NBWL is not granted then this principle approval shall stand revoked impromptu and no claim shall be made by the user agency for works done in area outside Protected Area (P.A)	इस बिन्दु के अनुपालन में समस्त शर्तें प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य हैं।
28	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC Dt. 29-01-2018.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
29	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
30	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालन के माध्यम से उ०प्र० कैम्पा से जमा कराने की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी गयी है (छाया प्रति संलग्न)।
31	The compliance report on e-portal https://parivesh.nic.in	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुआर आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपरोक्तानुसार उ०प्र० सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र सहित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(प्रशान्त यादव)

अधिशायी अभियन्ता,

पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,

लो०नि०वि०-सोनभद्र।

पत्रांक :- 1191/67135

दिनांक :- 12/12/2023.

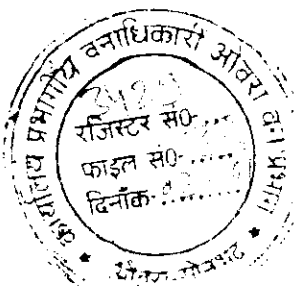
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद सोनभद्र।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० वाराणसी।

अधिशायी अभियन्ता,

पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,

लो०नि०वि०-सोनभद्र।



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि का वैधानिक रूप किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं जाने" हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमाणीय बनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता

पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र



BHULEKH

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : रामपुर परगना : (विजयगढ़) तहसील : राबर्टसगंज जनपद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1424-1429 (01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2022) भाग : 1 खाता संख्या : 00180

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान

खसरा संख्या

क्षेत्रफल (हे.)

आदेश

टिप्पणी

श्रेणी : 5-3-ड / अन्य कृषि योग्य बजर भूमि।

जंगल गौव समाज / / नि. ग्राम

240

0.1400

उपजिलाधिकारी राबंज, सोनभद्र के आदेश दि. 27-06-19 के

241ख

2.1200

आदेशानुसार भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 की विज्ञप्ति के अनुसार ग्राम

243ख

0.7300

रामपुर परगना विजयगढ़ तहसील राबंज जिला सोनभद्र के वर्तमान आराजी

244

0.1100

नं. 1466/102.460 व 430/124.100 व 436/16.340 व

246

0.0600

1/0.570 व 515/21.130 व 516/0.500 व 523/0.130 व

247

0.0200

525/0.100 व 505/146.110 व 506/1.170 व

248

0.0200

1468/19.800 व 1469/20.900 व 296/1.630 व

249

3.0500

305/0.850 व 306/1.000 व 307/0.620 व 310/12.380 व

250

0.0900

311/1.550 व 312/11.350 व 313/3.220 व 314/2.040 व

251

0.7400

317/1.830 व 317/1.760 व 319/21.450 व 320/0.390 व

252

0.1400

212/0.350 व 213/0.490 व 375/0.090 व 377/0.340 व

253ख

0.1000

378/0.040 व 397/1.070 व 376/0.640 व 423/0.210 व

267ख

5.0620

424/14.470 व 395/2.080 व 392/0.010 व 392/0.110 व

270ख

0.0200

396/0.030 व 398/0.660 व 400/0.630 व 401/0.040 व

271ख

0.1800

402/0.040 व 407/0.980 व 407/0.070 व 410/0.160 व

272ख

0.0400

421/0.020 व 422/0.140 व 422/1.250 व 425/0.550 व

273ख

0.2800

425/2.720 व 101/0.170 व 134/0.100 व 126/0.180 व

276

0.2100

140/0.050 व 141/0.070 व 142/1.620 व 143/0.020 व

277

0.8000

144/0.100 व 145/0.340 व 146/1.190 व 152/0.060 व

278

1.6900

153/0.070 व 154/0.130 व 167/0.270 व 167/0.230 व

279

0.6400

198/0.430 व 198/0.010 व 209/0.040 व 203/0.410 व

280*

0.2700

203/0.770 व 207/1.470 व 206/0.220 व 208/0.200 व

292*

0.1800

208/0.040 व 209/0.080 व 210/1.250 व 211/0.350 व

211/0.500 व 214/22.700 व 214/0.150 व 215/0.600 व

छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र



आदेशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

211

2934	0.5900	216/5.320 व 217/0.090 व 218/0.010 व 219/0.010 व
2944	0.5900	220/2.740 व 221/0.210 व 222/0.150 व 223/0.530 व
2954	0.0500	224/5.870 व 225/1.620 व 226/0.560 व 227/1.220 व
2984	0.2000	229/0.130 व 230/0.050 व 242/0.210 व 265/2.570 व
4304	63.2500	366/2.370 व 267/3.460 व 267/7.000 व 304/6.550 व
4364	0.7500	328/64.640 व 328/0.490 व 328/0.700 व 329/0.120 व
624	0.0200	356/0.070 व 358/0.800 व 358/0.210 व 359/0.350 व
6254	0.3500	360/0.270 व 459/0.150 व 460/2.250 व 461/66.360 व
628	0.0200	491/92.850 व 493/0.990 व 495/1.970 व 497/40.740 व
629	0.0500	498/1.990 व 498/0.170 व 453/2.170 व 456/0.310 व
632	0.1000	457/0.530 व 458/1.070 व 462/0.820 व 463/0.310 व
7884	0.1000	464/4.140 व 465/0.100 व 466/0.070 व 467/0.020 व
7894	0.0600	471/0.070 व 473/0.270 व 475/0.030 व 476/0.510 व
7914	0.1800	477/1.540 व 437/73.620 व 441/0.040 व 442/0.430 व
7904	0.0200	443/0.360 व 444/0.110 व 445/0.060 व 446/0.310 व
8104	0.1600	447/0.060 व 455/75.920 व 486/34.760 व 487/0.300 व
10944	0.1600	488/0.350 व 489/0.380 व 470/1.040 व 472/1.120 व
245	0.0100	472/0.830 व 426/8.360 व 431/0.040 व 432/2.280 व
275	0.4600	433/0.370 व 435/0.170 व 427/1.780 व 428/0.490 व
		429/1.760 व 503/109.270 व 503/0.200 व
		1332/0.050 व 1149/0.010 व 1149/0.040 व
		1281/0.080 व 1283/0.030 व 1285/0.040 व
		1287/0.440 व 1297/0.300 व 1299/0.650 व
		1299/0.050 व 1300/0.130 व 1301/0.160 व
		1302/0.040 व 1303/1.000 व 1296/1.500 व
		1296/0.100 व 1294/0.060 व 1294/0.100 व
		1306/0.230 व 1307/0.340 व 1308/0.130 व
		1309/0.060 व 1333/0.400 व 1347/0.020 व
		1350/8.440 व 1360/1.980 व 1361/0.490 व
		1362/0.520 व 1363/0.040 व 1364/0.100 व
		1376/0.040 व 1380/0.040 व 1392/0.080 व
		1409/0.070 व 1410/0.080 व 1411/0.300 व
		1412/0.1200 व 1413/0.040 व 1418/0.030 व
		1426/0.0900 व 1442/2.980 व 1445/1.220 व
		1446/0.930 व 1447/0.560 व 1448/0.100 व

छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय वित्त अधिकारी
चौपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र



आदेशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

1449/0.190 व 1450/0.250 व 1451/0.030 व
 1452/0.270 व 1453/0.230 व 1454/0.070 व
 1455/0.670 व 1456/0.180 व 1457/0.390 व
 1458/0.420 व 1465/128.820 व 1459/0.290 व
 1460/0.220 व 1469/0.290 व 504/88.770 व 61/0.920
 व 62/0.040 व 63/0.150 व 64/0.010 व 65/0.180 व
 66/0.010 व 67/0.050 व 68/0.040 व 69/0.040 व
 70/0.220 व 71/0.070 व 72/2.080 व 73/0.160 व
 74/0.720 व 75/0.120 व 76/2.170 व 77/0.460 व
 78/7.470 व 79/0.440 व 80/1.510 व 81/0.450 व
 81/0.030 व 82/0.610 व 83/1.260 व 83/0.120 व
 84/0.100 व 84/0.070 व 85/0.140 व 85/0.090 व
 86/0.070 व 86/0.120 व 50/0.580 व 51/0.450 व
 52/0.180 व 53/0.130 व 54/0.050 व 55/0.060 व
 56/0.020 व 57/0.050 व 58/0.31Q व 94/0.050 व
 94/0.880 व 1290/0.040 व 1291/0.320 व 1292/0.390
 व 1197/0.480 व 1261/0.040 व 1262/0.180 व
 1265/0.140 व 1266/0.240 व 1268/1.480 व
 1268/0.320 व 1269/11.00 व 1269/4.900 व
 1136/0.120 व 1137/0.1100 व 1150/0.900 व
 1227/0.240 व 1011/0.140 व 1029/0.250 व
 1033/0.020 व 1151/0.480 व 1152/0.230 व
 1282/0.020 व 1286/0.360 व 1135/0.100 व
 1033/0.020 व 1271/0.950 व 1273/0.490 व
 1467/138.400 भूमि जो पुराने आराजी नम्बरान से बने है प्राप्त फर्द
 मुताबिकत के आधार पर भा0व0अ0 की धारा-4 सुरक्षित वन दर्ज हो।
 ह0र0का0 08-11-2019

जिलाधिकारी सोनभद्र आदेश दि० 26-12-19 पुनर्ग्रहण प्रस्ताव शासनादेश
 संख्या-258(1)16-73-रा-1 दिनांक 16-06-1981 का आंशिक
 परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम
 संख्या 8 सन 2012) की धारा-59 की उप धारा-4 के खण्ड-(ग) तथा
 उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति
 का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-
 20(5)/2016, दिनांक- जून 03, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का

छायाप्रति प्रमाणित
 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 चौपन, ओबरा वन प्रभाग
 ओबरा-सोनभद्र



आधिशसो अभियन्ता
 पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
 लो० नि० वि० सोनभद्र

सोलमक-2/3

प्रयोग करते हुये मैं एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, सोनभद्र संलग्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि जो अब ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। भूमि का विवरण- ग्राम रामपुर परगना विजयगढ़ के आराजी नं० 430 ख मी० रकबा 10.5063 हे० श्रेणी 5-3-ड० से निरस्त होकर वन विभाग (क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु) पुनर्ग्रहित की जाती है। पुनर्ग्रहित भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश पुनर्ग्रहित भूमि का उपयोग इस निमित्त तीन वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत गावसभा में सन्निहित हो जायेगी। ह०र०का० 30-12-19

शास०देश सं०-258(1)16-73-रा-1 दिनांक 16-06-1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा-59 की उप धारा-4 के खण्ड-(ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक-जून 03, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं चन्द्र विजय सिंह, जिलाधिकारी, सोनभद्र संलग्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि, जो अब ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। पुनर्ग्रहित भूमि का विवरण- ग्राम रामपुर परगना विजयगढ़ तहसील रा०गंज जिला सोनभद्र के आराजी नं० 430 ख रकबा 0.33.7437 हे०, श्रेणी 5-3-ड०, अन्य कृषि योग्य बजर जंगल गांव समाज। पुनर्ग्रहित भूमि का उपयोग पटवध से वसुहारी सम्पर्क मार्ग के लिये वन विभाग (क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु) प्रयोजन में किया जायेगा। ह०र०का० 23-05-2022

खतौनी शुद्धि दिनांक 18-06-2022 उप जिलाधिकारी रा०गंज ग्राम रामपुर के खाता सं० 180 के आदेश कालम में अंकित पुनर्ग्रहित आदेश में अंकित आ०नं० 430 ख रकबा 0.33.7437 हे० के स्थान पर आ०नं० 430 ख रकबा 33.7437 हे० शुद्ध दर्ज हो। ह०र०का० 18-06-2022

42

83.8120

कंप्यूटर प्रोग्रामिंग (गैट) के वन प्रन विजय सिंह, जिलाधिकारी, सोनभद्र

Discipline

Software Power by National Informatics Centre

छायापति प्रमाणित

उप प्रभागीय बनाविकारी
चौपन, ओबरा-बन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Digital India

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 213014202207193

ग्राम क्रमांक : 213014 ग्राम का नाम / परगना : पेढ(बड़हर) तहसील : घोरावल जनपद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1

खता खतौनी क्रम संख्या	खानेदार का नाम / पिता पति सरक्षक का नाम / निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खतों के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खानेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 4-क / उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण, अधि, अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि - (क) जो उ.प्र. जोत सी. आ. अ. के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो।

00601	सहकारी कृषि समिति / 0000 / नि. ग्राम	1377फ-	79ख	0.8100		1423फ0 देखे आदेश खाता सं0 574 पर दर्ज है, ह0रका0 24.11.2016	
		1377फ-	320घमि	3.3770		1424फ- देखे बैनामा आदेश खाता सं0 176 पर दर्ज है, ह0रका0 14.6.2017	
		1377फ-	321घ	1.5180			
		1377फ-	369	2.0480		मु0नं0 201916660302847 धारा 38(2) उ0प्र0 राजस्व। संविदा 2006	
		1377फ-	378क	1.0500		ता0फ0 02.11.2019 न्यायालय उप जिलाधिकारी/असि0क0प्र0 श्रेणी घोरावल	
		1377फ-	380	1.4410		सोनभद्र पारित आदेश स्थित मौजा पेढ के खाता संख्या 00551 के खतौनी सर	
		1377फ-	392ख	0.5820		फसली 1423-1428 के आराजी नं0 74ख/0.810हे0 ,	
		1377फ-	397क	5.6030		320घमी/3.373,321घ/1.518,369/2.048,378क/1.0500,380	
		1377फ-	399क	0.8970		/1.441,192ख/0.582,397क/5.603,399क/0.897,401ख	
		1377फ-	401ख	6.6780		/6.678,407/1.263,492क/3.287,493ख/0.531,504ग	
		1377फ-	407	1.2630		/1.417,506ग/4.388,507ग/5.678,509कमी/2.5280,516ख	
		1377फ-	492क	3.2870		/1.265,541क/2.225,597ग/1.833,665क/0.455,723	
		1377फ-	493ख	0.5310		/0.582,734/2.275,824/1.226,911/0.304,916/0.228,962	
		1377फ-	504ग	1.4170		/0.759हे0 कुल 27 गाटा रकबा 54.248हे0 भू-राजस्व 3.78 सहकारी कृषी	
		1377फ-	506ग	4.3880		पेढ के नाम जाली एवं फर्जी प्रविष्टि निरस्त2 कर ग्राम सभा बंजर खाते में दर्ज हो	
		1377फ-	507ग	5.6780		ह0रका0 20/11/2019	
		1377फ-	509कमि	2.5280			
		1377फ-	516ख	1.2650			
		1377फ-	541क	2.2250			
		1377फ-	557ग	1.8330			
		1377फ-	665क.	0.4550			
		1377फ-	723	0.5820			
		1377फ-	734	2.2750			
		1377फ-	824	1.2260			

अवधि प्रमाणित

उप प्रभागिय वनाधिकारी
बोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

आविशस्त अभिलेखा
पी०एम०जी०एस०वाइ० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 213014202207193

ग्राम क्रमांक : 213014 ग्राम का नाम / परगना : पेड़(बड़हर) तहसील : घोरावल जनपद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)

भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
		1377फ-	911	0.3040		मु०न० 201916660303016 धारा 38(2) उ०प्र० राजस्व/ संहिता 2006 ता०फे० 22.11.2019 न्यायालय उप जिलाधिकारी/असि०क०प्र० श्रेणी घोरावल सोनभद्र द्वारा वाद संख्या1 टी201916660302847 में पारित आदेश 01.11.2019 स्थित मौजा पेड़ के खाता संख्या 00551 के खतौनी सन् फसली 1423-1428 के आराजी नं० 74ख/0.810हे० , 320चमी/3.373,321घ /1.518,369/2.048,378क/1.0500,380/1.441,192ख /0.582,397क/5.603,399क/0.897,401ख/6.678,407 /1.263,492क/3.287,493ख/0.531,504ग/1.417,506ग /4.388,507ग/5.678,509कमी/2.5280,516ख/1.265,541क /2.225,597ग/1.833,665क/0.455,723/0.582,734/2.275,824 /1.226,911/0.304,916/0.228,962/0.759हे० कुल 27 गाटा रकबा 54.248हे० भू-राजस्व 3.78 सहकारी कमी पेड़ के नाम जाली एवं फर्जी प्रविष्टि निरस्त. कर ग्राम सभा बंजर खाते से संशोधित करते हुए सिलिंग भूमि श्रेणी 4-क खाते में दर्ज हो ह०र०का० 04.12.2019	
		1377फ-	916	0.2280		मु०न० टी 201916660302847 धारा 38-2 उ०प्र०रा०संहिता ता०फे० 17-02-2021 न्यायालय उप जिलाधिकारी घोरावल सोनभद्र -न्यायालय के निर्णयानुसार ग्राम पेड़ प०बड़हर तह०घोरावल जि० सोनभद्र एक पक्षीय आदेश दिनांक 01-11-2019 व 22-11-2019 आंशिक रूप से गाटा स० 541क व 557ग व 911 व 916 व 962 श्रेणी 4क सीलिंग खाते के बाबत निरस्त किया जाता है एवं शेष गाटा स० 79ख रकबा 0.8100हे० व 320चमि रकबा 3.3770हे० व 321घ रकबा 1.5180हे० व 369 रकबा 2.0480हे० व 378क रकबा 1.0500हे० व 380 रकबा 1.4410हे० व 392ख रकबा 0.5820हे० व 397क रकबा 5.6030हे० व 399क रकबा 0.8970हे० व 401ख रकबा 6.6780हे० व 407 रकबा 1.2630हे० व 492क रकबा 3.2870हे० व 493ख रकबा 0.5310हे० व 504ग रकबा 1.4170हे० व 506ग रकबा 4.3880हे० व 507ग रकबा 5.6780हे० व 509कमि रकबा 2.5280हे० व 516क रकबा 1.2650हे० व 665क रकबा 0.4550हे० व 723 रकबा 0.5820हे० व 734 रकबा 2.2750हे० व 824 रकबा 1.2260हे० कुल 22गाटा रकबा 48.899हे० यथावत श्रेणी 4क सीलिंग खाते में कायम रहेगा। ह०र०का० 19-02-2021	
		1377फ-	962	0.7590		मु०न० टी० 202116660300678 धारा 101 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006- न्यायालय उप जिलाधिकारी घोरावल सोनभद्र- न्यायालय के निर्णयानुसार ग्राम पेड़	

छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रमाणिक बनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

आयशासि अधिकारिता
पी०एम०जी०एस०वाइ० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 213014202207193

ग्राम क्रमांक : 213014

ग्राम का नाम / परगना : पेड(बड़हर)

तहसील : पोरवल

जनपद : सोनभद्र

फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)

भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी वा लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा विनोद संहिता और आशा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
						परबड़हर तहसील पोरवल सोनभद्र फसली सन् 1423 से 1428 के खाता संख्या 551 आराजी सं. 541क रकबा 2.2250हे. शिद्धपुल अ बादिनी विधावती देवी पत्नी भूपेन्द्र बहादुर सिंह निवासी दाढ़ीराम परगना कर्नात जिला मीरजापुर के स्थान पर श्रेणी 4 क अतिरिक्त भूमि सीलिंग व खाता सं. 551 के आराजी सं. 824 मि रकबा 0.5000हे. व 401ख रकबा 1.5640हे. योग कुल 2 गाटा कुल रकबा 2.0640हे. शिद्धपुल व श्रेणी 4-क अतिरिक्त भूमि सीलिंग पर विधावती देवी पत्नी भूपेन्द्र बहादुर सिंह निवासी दाढ़ीराम परगना कर्नात जिला मीरजापुर का नाम शांक्रमणीय भूमिधर अंकित कर कागजात माल दुरुस्त हो। ह०र०का० 01-03-2021 विविध/पट्टा उप जिलाधिकारी पोरवल स्वीकृति दिनांक 23-02-2021 के आधार ग्राम पेड पं.बड़हर तह०.पोरवल जि० सोनभद्र के निम्न आवंटियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित आराजी व रकबे को सीलिंग पट्टेदार के रूप में अंकित किया जाता है -1-छोटे पुत्र अंजन नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-2-गुलाब पुत्र अंजन नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-3-सूर्यबली पुत्र हरख नि०पेड आ०न० 723मि रकबा 0.1455हे० भू०रा०1.20-4-शंकर पुत्र हरख नि०पेड आ०न० 723मि रकबा 0.1455हे० भू०रा०1.20-5-बुद्धिराम पुत्र हरख नि०पेड आ०न० 723मि रकबा 0.1455हे० भू०रा०1.20-6-भोला पुत्र हरख नि०पेड आ०न० 723मि रकबा 0.1455हे० भू०रा०1.20-7-राधेस्यम पुत्र रामदेव नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-8-शिवप्रसाद पुत्र लालता नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-9-रामप्रसाद पुत्र लालता नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-10-बालमृत पुत्र राजकुमार नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-11-धर्मेश पुत्र राजकुमार नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-12-सुरेन्द्र पुत्र राजकुमार नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-13-निर्मला देवी पत्नी स्व०राजकुमार नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-14-रामकुमार पुत्र अमृत नि०पेड नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-15-प्रमोद कुमार पुत्र अमृत नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-16-सन्तोष पुत्र अमृत नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-17-बबुन्दर पुत्र मृत नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-18-रामजतन पुत्र पूरे नि०पेड आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30 । उपरोक्त विवरणद्वारा सीलिंग पट्टेदार अंकित हो। ह०र०का० 02-04-2021	

छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रमाणित बनाधिकारी
चोपन, ओबरा बन प्रमाण
ओबरा-सोनभद्र

पी०एम०जी०एस०वा० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

12-Jul-22, 6:26 PM

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 213014202207193

ग्राम क्रमांक : 213014

ग्राम का नाम / परगना : पेड़(बड़हर)

तहसील : घोरावल

जनपद : सोनभद्र

फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)

भाग : 1

खता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति सरस्वत का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13
						कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र पत्र सं० 1294/डी०एल०आर०सी०-पू० पुनर्ग्रहण/2021 दिनांक- 06 जुलाई 2021 आकार प्रपत्र-1 पुनर्ग्रहण आदेश- शासनादेश सं०-258(1)16-73-रा-1 दिनांक 16-06-1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ०प्र०अधिनियम सं०8 सन 2012) की धारा 59 की उप धारा 4 के खण्ड ग तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना सं० 740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक जून 03-2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अभिवेक सिंह जिलाधिकारी सोनभद्र अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रबन्ध में निहित थी को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। अनुसूची-1-क्रम सं०-1-2-जनपद-सोनभद्र-3-तहसील घोरावल-4-परगना-बड़हर-5-ग्राम-पेड़-6-गाटा सं०- 369 रकबा 2.0480हे० व 378क रकबा 1.0500हे० व 392खमि० रकबा 0.3820हे० व 507गमि० रकबा 3.0890हे० व 380 रकबा 1.4410हे० योग 5 गाटा रकबा 8.0100हे० -8-भूमि की श्रेणी-4-क-सीलिंग-9-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है- वन विभाग-क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु- पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा ह०र०का० 07-07-2021	
						कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र पत्र सं० 1295/डी०एल०आर०सी०-भ० पुनर्ग्रहण/2021 दिनांक 06 जुलाई 2021 आकार प्रपत्र-1 पुनर्ग्रहण आदेश- शासनादेश सं०-258(1)16-73-रा-1 दिनांक 16-06-1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ०प्र०अधिनियम सं०8 सन 2012) की धारा 59 की उप धारा 4 के खण्ड ग तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना सं० 740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक जून 03-2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अभिवेक सिंह जिलाधिकारी सोनभद्र अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रबन्ध में निहित थी को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। अनुसूची-1-क्रम सं०-1-2-जनपद-सोनभद्र-3-तहसील घोरावल-4-परगना-बड़हर-5-ग्राम-पेड़-6-गाटा सं० 401ख मि० रकबा 1.0960हे० व 504ग रकबा 1.4170हे० व 506गमि० रकबा 4.1980हे० व 509कमि० रकबा 2.5280हे० व 516ख रकबा 1.2650हे० व 541क रकबा 2.2250हे० व 507गमि० रकबा 2.5260हे० वयोग 07 गाटा रकबा 15.2550हे०-8-भूमि की श्रेणी-4-क-सीलिंग-9-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है- वन विभाग-क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु- पुनर्ग्रहीत भूमि का	

छायाप्रति प्रमाणित
उप प्रभागीय बनाविकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

आदेशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० ख
लो० नि० वि० सोनभद्र

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 213014202207193

ग्राम क्रमांक : 213014 ग्राम का नाम / परगना : पेड(बड़हर) तहसील : घोरावल जनपद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान
1	2	3	4	5	6

भाग : 1

परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित
और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद

7-12

13

उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। ह०र०का० 07-07-2021

मु०नं०टी 202116660301751 अंधारा 35 उ०प्र०रा०सं० 2006 ता०फे०
25-04-2022 न्यायालय तहसीलदार घोरावल सोनभद्र ग्राम पेड पर० बड़हर
तहसील घोरावल जिला सोनभद्र के खतौनी सन् फसली 1429 से 1434 तक के
खतौनी खाता सं० 00601 के आ०नं० 557ग रकबा 1.2650हे० से विक्रेता
विदयावती देवी पत्नी सुपेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम दाडीराम पर० कंठित जिला
मीरजापुर हा०मु० पेड पर० बड़हर तहसील घोरावल जिला सोनभद्र का नाम निस्त
करके बैनामा आधार पर बादिनी शान्ती देवी पत्नी निदुलाल यादव निवासी चन्द्रबली
साधू यादव चात बिजामता रोड आदित्य नर्सिंग होम जबल पम्प हाउस अंधेरी ईस्ट
मुम्बई उपनगर चालाका एमआयडीसी महाराष्ट्र 400093 हा०मु० तिलठी एस०के
महिला महाविद्यालय के बगल में मीरजापुर का नाम बतौर सं०भू० सहखातेदार अंकित
हो।ह०र०का० 20-05-2022

कार्यालय जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र के पत्र सं० 1894/डी०एल०आ०सी०-भू०
पुनर्ग्रहण/2022 दिनांक- 29 जून, 2022 आकार प्रपत्र-1 पुनर्ग्रहण आदेश-
शासनआदेश सं०-258(1)16-73-रा-1 दिनांक 16-06-1981 का आंशिक
परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ०प्र०अधिनियम सं०8 सन
2012) की धारा 59 की उप धारा 4 के खण्ड ग तथा उ०प्र०राजस्व संहिता
नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय
अधिसूचना सं० 740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक जून 03-2016 में
प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं चन्द्र विजय सिंह, जिलाधिकारी सोनभद्र
अनुसूची के स्तम्भ 6में उल्लिखित भूमि जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रबन्ध में निहित
थी को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। अनुसूची-1-क्रम सं०-1-2-जनपद-
सोनभद्र-3-तहसील घोरावल-4-परगना-बड़हर-5-ग्राम-पेड-6- गाटा सं०-
320घमि० रकबा 2.7000हे०, 321घ रकबा 1.5180हे०, 401घमि० रकबा
1.9045हे० व 407मि० रकबा 1.2000हे० कुल योग 4 गाटा रकबा
7.3225हे०-8-भूमि की श्रेणी-4-क-सीलिंग-9-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत
की जा रही है- वन विभाग-क्षतिग्रस्त वनीकरण हेतु- पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग
स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। ह०र०का० 12-07-2022

छायाप्रति प्रमाणित
उप प्रमाणित बनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

27

54.2480

330.78

11

शे सात कुल क्षेत्रफल- पाँच चार दशमलव दो चार आठ शतक (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - तीन तीन शतक दशमलव सात आठ रुपये

आधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 213014202207193

ग्राम क्रमांक : 213014

ग्राम का नाम / परगना : पेड(बड़हर)

तहसील : घोरावल

जनपद : सोनभद्र

फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)

भाग : 1

खता खतौनी क्रम संख्या	खतौदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खतौ के प्रत्येक गाटे की छसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खतौदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13

Data Digitally Signed by: KAILASH PRAKASH MISHRA



सक्षम अधिकारी: VINOD KUMAR DUBEY

तहसील: घोरावल जनपद: सोनभद्र

दिनांक एवं समय: 12-07-2022 06:23:24

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है जो राष्ट्रीय डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उद्धरण खतौनी का वेबसाइट <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चोपन, जोबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : देवहार परगना : (विजयगढ़) तहसील : राबर्टसगंज जनपद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1424-1429 (01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2022) भाग : 1 खाता संख्या : 00036

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान

खसरा संख्या

क्षेत्रफल (हे.)

आदेश

टिप्पणी

श्रेणी : 5-3-ड / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।

बन्जर / 0 / नि. ग्राम

1

0.1250

उपजिलाधिकारी रांगंज, सोनभद्र के आदेश दि० 27-06-19 के अनुसार

2

0.0900

भागीय वन अधिनियम की धारा-20 की विधि के अनुसार ग्राम देवहार

3

2.5500

परगना विजयगढ़ तहसील रांगंज जिला सोनभद्र की वर्तमान अ० नं०

4

0.9800

3घ/2.55 व 4/0.98 व 5/0.100 व 6/0.260 व 7/0.230 व

5

0.1000

8/0.230 व 9/0.35 व 10/0.570 व 11/0.31 व 12/0.190 व

6

0.2600

13/0.380 व 14/0.510 व 15/0.300 व 16/0.150 व

7

0.2300

17/0.260 व 18/0.040 व 19/1.700 व 20/0.590 व

8

0.2300

21/0.620 व 22/0.480 व 23/0.300 व 24/0.570 व

9

0.3500

25/0.200 व 26/0.310 व 27/0.300 व 28/0.140 व

10

0.5700

29/0.090 व 31/0.160 व 45/0.440 व 46ख/0.330 व

11

0.3100

47/0.170 व 48/0.190 व 49/0.670 व 50/0.140 व

12

0.1900

65ख/0.140 व 65ख/0.500 व 66/0.640 व 67/1.080 व

13

0.3800

68/0.470 व 69/0.460 व 70ख/0.240 व 87/0.590 व

14

0.5100

88/0.550 व 89/0.310 व 90ख/0.420 व 93क/0.020 व

15

0.2000

94/0.290 व 95/0.220 व 136क/13.010 व 36ख/0.230 व

16

0.1500

37/0.220 व 38/0.350 व 39/0.100 व 40/0.070 व

17

0.2600

41/0.260 व 42/0.200 व 43/0.090 व 44/0.290 व

18

0.0400

45/0.440 व 50/0.140 व 51/0.060 व 52ख/0.050 व

120क/0.340 व 121/0.210 व 153ग/0.300 व 178/0.460

व 179/0.070 व 180/0.130 व 181/0.100 व 183/0.100 व

184/0.620 व 185/0.460 व 186/0.220 व 187/0.150 व

188/0.130 व 189/0.040 व 190/0.010 व 191/0.140 व

192/0.070 व 193/0.280 व 194/0.160 व 195/0.030 व

196/0.130 व 197/0.080 व 198/0.030 व 199/0.050 व

298ख/21.770 व 304/0.130 व 305/0.120 व 306/0.410

व 315/0.410 व 316क/0.360 भूमि जो पुराने आराजी नम्बरान से

बने है प्राप्त फर्द मुताबिकत के आधार पर भा०व०अ० की धारा-20

आरक्षित वन दर्ज हो। 14-10-2019

छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र



अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

19	1.7000	उपजिलाधिकारी रांगंज, सोनभद्र के आदेश दि० 27-06-19 के अनुसार
20	0.5900	भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 की विधि के अनुसार ग्राम देवहार
21	0.6200	परगना विजयगढ़ तहसील रांगंज जिला सोनभद्र की वर्तमान अ० न०
22	0.4800	2क/3.800 व 485/36.22 व 486/36.38 व 487क/97.00 व
23	0.3000	472ब/83.600 व 473ख/34.93 व 477क/46.010 व
24	0.5700	531/0.160 व 532/16.210 व 533/30.204 व 535/19.92
25	0.2000	व 527/1.79 व 431/0.220 व 433/0.160 व 434/0.210 व
26	0.3100	435/0.100 व 436/0.100 व 437/0.070 व 438/0.160 व
27	0.3000	439/0.120 व 440/0.330 व 441/0.450 व 442/0.110 व
28	0.1400	443/0.190 व 444/0.210 व 445/0.380 व 446/0.54 व
29	0.0900	447/0.54 व 448/1.510 व 449/1.790 व 453ख/0.530 व
36	0.2300	460/1.540 व 473ख/34.93 व 474/0.29 व 475/0.72 व
37	0.2200	476/4.15 व 461/0.38 व 462/0.050 व 465/0.690 व
38	0.3500	466/0.81 व 467/0.28 व 468/3.89 व 469/5.410 व
39	0.1000	470/12.75 व 471/11.54 व 472ख/83.6 व 473ख/34.93
40	0.0700	व 472ख/16.537 व 541क/73.300 व 542/9.360 व
41	0.2600	543/8.70 व 536/12.100 व 538/7.640 व 536/18.28 व
42	0.2000	486/36.38 व 486क/97.000 व 488/51.33 व 486/1.21 व
45	0.0900	490/0.640 व 491/0.370 व 492/0.39 व 493/0.33 व
44	0.2900	494/0.52 व 496/0.32 व 497/0.54 व 498/0.32 व
45-	0.4400	499/0.49 व 500/0.42 व 501/0.29 व 502/0.100 व
46	0.3300	503/0.25 व 504/0.31 व 505/0.340 व 506/0.470 व
47	0.1700	507/0.680 व 508/0.170 व 509/0.27 व 510/0.61 व
48	0.1900	511/0.78 व 512/0.39 व 513/0.25 व 514/0.85 व
49	0.6700	515/0.330 व 516/0.48 व 517/0.300 व 518/1.08 व
50	0.1400	519/0.12 व 520/0.43 व 521/0.83 व 522/0.95 व
51	0.0600	523/0.73 व 524/0.44 व 525/0.620 व 526/0.760 व
		527/1.79 व 528/0.41 व 529/0.22 व 530/0.17 व
		531/0.160 व 532/16.21 व 539/50.61 व 2ख/0.41 व
		200क/0.350 व 297/0.210 व 541क/73.30 व 297/0.21 व
		311/0.32 व 319ख/0.170 व 416ख/0.100 व
		473क/0.400 व 472क/1.300 व 487ख/0.100 व
		541ख/0.530 भूमि जो पुराने आराजी नम्बरान से बने है प्राप्त फर्द
		मुताबिक के आधार पर भा० व ० अ० की धारा-4 आरक्षित वन दर्ज हो।
		ह० र० का० 14-10-2019

छायाप्रति प्रमाणित
 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 चोपन, ओबरा वन प्रभाग
 ओबरा-सोनभद्र

आदेशासी अभियन्ता
 पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
 लो० नि० वि० सोनभद्र

कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र के पुनर्गठन पत्र संख्या 682/
 डी०एलआरसी-भू पुनर्गठन/2020 दिनांक 27-08-2020 ग्राम देवहार
 परगना विजयगढ़ तहसील रांगंज जिला सोनभद्र की ग्राह्य संख्या 417
 क्षेत्रफल 0.0625 हे० भूमि श्रेणी 5-3-ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को
 तेन्दुडाही ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन



153क	0.6600
154	0.4000
155क	0.0800
156क	0.1600
157	0.1800
158	0.0600
160क	0.1900
161ख	0.3600
162क	0.0500
163	0.3800
164	0.2400
165	0.3000
169	0.0300
171ख	0.0600
172क	0.2200
173क	0.2000
174	0.1000
175	0.1800
176	0.1500
177	0.2100
182ख	0.1400
200क	0.2000
204	0.1200
205	0.0400
207	0.0100
208क	0.0700
209	0.2000

छायाप्रति प्रमाणित
 ७५ प्रमाणाव बनाविकारी
 चौपन, ओबरा वन प्रभाग
 ओबरा-सोनभद्र

संलग्नक-२/५
 Software Powered By
 State of Odisha State Unit

अधिशसी अभियन्ता
 पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
 सो० नि० वि० सोनभद्र

NIC NATIONAL
INFORMATICS
CENTRE

Digital
India

24/12

210	0.0400
216	0.1800
217	0.1900
222	0.0600
225	0.0200
231	0.0600
234	0.2200
235	0.1100
236	0.0200
237	0.0500
238	0.0600
239	0.0800
240	0.0700
247	0.0300
248	0.2000
250	0.1000
255	0.1100
256	0.1800
257	0.0200
258	0.0800
263	0.1600
269	0.3200
270	0.1200
271	0.1000
272	0.2000
273	0.4000
274	0.3200

छायाप्रति स्थापित

वनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

हरे खन्ना मण्डल पर स्थित है

अधिकासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र



275	0.1500
276	0.2200
277	0.4700
278	0.0900
289	0.0900
280	0.0700
282	0.0500
283	0.0700
284	0.0900
285	0.1200
286	0.2300
287	0.2000
288	0.1600
289-	1.0400
290	0.6100
291	0.3000
292	0.0700
295 ^क	0.1000
296	0.0900
303 ^क	0.1800
307 ^क	0.1100
310	0.5800
311	0.3200
313	0.1100
314	0.1400
316 ^क	0.0400
317 ^क	0.0500

छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रभाग के नायिका
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनबर

आधिशर्सी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
सी० नि० वि० मोनभद्र



318	0.0600
321ख	0.0500
322	0.0900
324क	0.2400
325	0.3000
326ख	0.0400
327	0.2000
328	0.2300
329	0.1800
330	0.2400
331ख	0.1400
335	0.0200
336	0.0300
337ख	0.0300
338क	0.0200
341ख	0.0700
348	0.0400
361	0.1000
362	0.0900
388ख	0.0300
370ख	0.2000
372	0.1800
391घ	0.0600
393घ	0.0400
393घ	0.1700
394	0.0700
395	0.0700

छायाप्रति प्रमाणित.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

नोट: उपर्युक्त विवरण केवल सूचना के लिए है। इसका उपयोग केवल सूचना के लिए है। इसका उपयोग केवल सूचना के लिए है।

Disclaimer:

Software Downloaded from

अधिकांशी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र



22/11/17

396	0.1300
397	0.1000
398	0.1000
399	0.0700
400	0.0200
401	0.0600
402	0.1100
403	0.4600
404ख	0.1500
412ग	0.0500
413ख	0.1700
414	0.0900
415	0.1100
416क	4.5100
417	1.3500
418	1.0300
428ग	0.1100
429ग	0.0840
430+	0.3020
431	0.2200
432	0.9800
433	0.1600
434	0.2100
435	0.1000
436	0.1000
437	0.0700
438	0.1600

छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

अधिशस्ती अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
लो० नि० वि० सोन



439	0.1200
440	0.3300
441	0.4500
442	0.1100
443	0.2100
445	0.3800
446	0.5400
447	0.5400
448	1.5100
449	1.7900
453	0.5300
454	0.1300
455	0.0600
456	0.1000
457	0.7800
458	0.6900
459	0.7700
460	1.5400
463	0.1200
478	0.1300
479	0.0400
127	0.0800
129	0.0800
132	0.0100
133	0.0300
141	0.1400
149	0.5400

छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय स्नायिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

यह छाया प्रति स्वयं की दृष्टि से तैयार की गई है और इस विषय में किसी भी प्रकार की ज़ाबत नहीं है। हेतु खमरा संयुक्त पर क्तिनक की

Disclaimer

Software Powered By

आवेशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र



संलग्नक-2/19

130	0.5100
171क	0.3200
201	0.2800
202	0.2800
203	0.0100
206	0.0400
241	0.0500
242	0.0900
243	0.2900
244	0.0400
245	0.0300
250क	0.0500
251+	0.1700
260क	0.1400
263+	0.1500
281	0.0400
422	0.1000
142क	0.3200
74	0.0800
233	0.5400
239क	0.0200
381	0.0500
404क	0.1000
405क	0.0800
62क	0.0500
70क	0.1500
103क	0.1100

छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय केनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रिंटिंग प्रणाली के माध्यम से प्रिंट किया गया है। प्रिंटिंग प्रणाली के माध्यम से प्रिंट किया गया है।

Disclaimer: The information provided in this report is for reference only and should not be used for any other purpose without the prior approval of the concerned authorities.

Software Powered By: [Name of the software provider]

आधेशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र



20/01/2019-2/20

144	0.0500
211	0.1200
212	0.1000
215	0.1000
259	0.0800
31	0.1600
60	0.0700
62	0.0400
63	0.0600
32	0.2500
33	0.2900
46	0.3700
77	0.1500
345	0.0500
349	0.0300
359	0.2300
376	0.0200
377	0.0200
378	0.0400
83	0.0700
143	0.0800
221	0.0500
232	0.0400
428	0.1000
124	0.0700
168	0.0600
249	0.0300

छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र



आदेशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

संलग्नक-2/21

246	0.0400
426	0.0600
61	0.0800
58	0.0900
62	0.0600
63	0.0600
64	0.3900
65	0.6400
159	0.0500
160	0.0500
161	0.1300
162	0.5000
172	0.2000
173	0.0400

योग

302 87.2410

नोट: उपरोक्त वन का राष्ट्रीय अभयारण्य है। वन भू-संपादन/विक्रय/प्रत्यक्ष/नामांकन/बर्ही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

यदि वन भू-संपादन/विक्रय/प्रत्यक्ष/नामांकन/बर्ही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें तो वन भू-संपादन/विक्रय/प्रत्यक्ष/नामांकन/बर्ही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें



छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-06-2022

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	6159458456
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/251/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonebhadra
Amount(In Rs)	40691927/-

Amount In Words :Four Crore Six Lakh Ninety-One Thousand Nine Hundred and Twenty-Seven Rupees Only

SBIN522475165138

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150906159458456 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Kanhaiya Jha
KANHAIYA JHA
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनसिंहकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-06-2022

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	6159458456
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/251/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonebhadra
Amount(In Rs)	40691927/-

Amount In Words :Four Crore Six Lakh Ninety-One Thousand Nine Hundred and Twenty-Seven Rupees Only

SBIN522475165138

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150906159458456 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Kanhaiya Jha
KANHAIYA JHA
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra

आवेष्टाको कामियन्ता
पीएमजीएसवाई० खा
लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के समय प्रयोक्ता एंजेन्सी उपयुक्त स्थान पर साईन बोर्ड स्थापित किये जाने हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय बर्नाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "CW/LW/NBWL/FAC/REC की सिफारिसों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रों में उपयुक्त अण्डर/ओवरपास उपलब्ध कराये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमगीय-यन्त्राधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला सोनगढ़ (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "पर्यावरण संरक्षक अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार (यदि लागू हो तो) पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदले जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिकासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय दनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

10-8-2016
29/03/2016-14

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-राबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रयोक्ता एजेन्सी वन विभाग या वन निगम या वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य श्रोत से खरीद कर पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, वैकल्पिक ईधन मजदूरों को दिये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय-वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित मार्ग में हस्तान्तरित वन भूमि को प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा के निर्देशन में स्वयं के व्यय पर उपयुक्त रूप से सीमांकित कराये जाने हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र पूर्ण रूप से बचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

25/12/2024-15
वि.सू.नं. 12

दि. 18-12-18
2107975-16

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "परियोजना कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई नवीन पथ का निर्माण नहीं किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से ६१.५०० तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय सहायिका
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

दिनांक-१०
अप्रैल-१७

18.5.21
स्वीकृत-18

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नहीं किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "स्टेज-2 हेतु अनुमोदन जारी करने से पूर्व स्थल निरीक्षण हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमगीष वैनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

दि. 24.04.2020
24/04/2020 - 20

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रयोक्ता एजेन्सी एन0बी0डब्लू0एल0 क्लीयरेन्स प्राप्त कर जमा किये जाने हेतु " पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभारग्राह्य/यनिधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

दि. २५-२५

संलग्नक - 21

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन्य जीव मंजूरी में लगायी गयी सभी शर्तों का पालन किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ई० प्रशान्त यादव
अधिक्षासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय-वनीधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

निर्माण - 16
2-10-2022-22

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिना एन0बी0डब्लू0एल0 से मंजूरी प्राप्त किये संरक्षित क्षेत्र में कोई कार्य शुरू न करने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहरताक्षरित

प्रमाणित बनावधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिकासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध बसुहारी सम्पर्क मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जनपद-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित होने वाले वनभूमि में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।


ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र
अधिशाली अभियन्ता,

पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,

लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

प्रतिहरताक्षरित

प्रभागीय वनोधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र


16.05.2024
201274-24

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-ओबरा, जिला-रोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समयानुसार जारी दिशा निर्देश का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-रोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र



कार्यालय प्रमागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या- 332-33-1 कैमूर, दिनांक, 01.08.2025

सेवा में,

प्रमागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग,

ओबरा-सोनभद्र।

विषय :-

जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 सोनभद्र द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चै0 0.000 से 61.500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1114 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 10.62 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल प्रभावित 45.2925 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1308 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

- (1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/251/2021/एफ0सी0/715 दिनांक-04.02.2022
- (2) इस कार्यालय का पत्रांक-231/33-1 दिनांक मीरजापुर, अगस्त 02, 2023
- (3) अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र का पत्रांक-814/61135 दिनांक-28.07.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/251/2021/एफ0सी0/715 दिनांक-04.02.2022 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्रांक-814/61135 दिनांक-28.07.2025 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, विवरण निम्नवत है :-

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over by the user agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में खतौनी की प्रति संलग्न की गयी है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 45.2925 ha. non forest land 4.2263Ha in Vill. Devhar, 2.70Ha in Perh Patch-1, 1.518Ha. in Perh Patch-2, 1.9045Ha. in Perh Patch-3, 1.20Ha. in Perh Patch-4, 33.7437Ha. in vill. Rampur, range - Robertsganj, District Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि परियोजना में प्रभावित वन भूमि 45.2925 हे0 के साथै कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के अन्तर्गत घोरावल रेंज के ग्राम पेढ में उपलब्ध करायी गयी 7.3225 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु धनराशि रू0 48,46,000.00 दिनांक 20.10.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMIPA, IFSC- UBIN0996335, A/C No. 150906159458990 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under section 4 or section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section of the state forest act as the case may be will be submitted by the State Government prior to stage-II Approval.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में ग्राम पेढ में 7.3225हे0 गैर वन भूमि को वन विभाग का नाम अमलदरामद कराकर उसकी खतौनी इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। खतौनी की प्रति संलग्न है। उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1412/ 81-2-2025-29(16)-2025 दिनांक-22.07.2025 द्वारा इस प्रभाग के घोरावल रेंज अन्तर्गत ग्राम पेढ में 7.3225 हे0 गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि घोषित किया गया है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि

6

	Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	प्रमाणित वन भूमि को राष्ट्रीय उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि का सर्वेक्षण, रीमार्किंग एवं स्थायी स्तम्भों के निर्माण हेतु वांछित धनराशि ₹0 3,77,128.00 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-घासान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC-UBIN0996335, A/C No. 150906159458990 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
6	The State Government shall charge the net present Value (NPV) for the 45 2925 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30-10-2022, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(pt. II) dated 18-09-2002, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03-10-2006 and 5-3/2007-FC Dated 05-02-2009	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में अयात कराया गया है कि प्रमाणित वन भूमि 45.2925 हे० के राष्ट्रीय कैम्पा वन्य जीव प्रभाग में वन्य जीव विहार के अन्तर्गत 94722हे० वन भूमि एवं 56855 हे० गैर वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की धनराशि ₹0 5,19,06,217.00 (₹0 पाँच करोड़ उन्नीस लाख छः हजार दो सौ सत्रह मात्र) दिनांक 20.10.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-घासान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC-UBIN0996335, A/C No. 150906159458990 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न की गयी है।
7	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert Committee, shall be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
8	All the procedural formalities should be followed in view of the model Code of conduct enforced due to upcoming U.P. State Assembly Election.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
9	User agency shall restrict the felling of trees to 1308 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and by the Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि कैम्पा वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 194 पौधों/वृक्षों की गणना, छपान/पातन हेतु धनराशि ₹0 4462.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रमाणीय वनाधिकारी, कैम्पा वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को उपलब्ध करा दिया गया है (डी०डी० की छाया प्रति संलग्न है) एवं वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न की गयी है।
10	The Complete Compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
11	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
12	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है एवं प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा WTA के माध्यम से Animal Passage Plan उपलब्ध कराया गया है।
13	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
14	The layout plan of the proposal shall not be change without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
15	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
16	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
17	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
18	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
19	The period of diversion this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अयात कराया गया है कि इस बिन्दु के अनुपालन में समस्त शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।

 The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में यथनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
21 The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में यथनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
22 The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMF area shall be uploaded on e-green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि से सम्बंधित क्षेत्र की कोऑरिनेट्स, सी0एफ0एल0, सी0एफ0 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को कार्य प्रारम्भ होने से पहले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
23 Site inspection shall be done before issuing approval for State-II	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में यथनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, घुर्क-सोनभद्र द्वारा किये गये मौके का स्थलीय सत्यापन के अनुसार अवगत करना है कि WII द्वारा विभिन्न चैनल पर दो Animal Under Passage (10m wide, 4m high) तथा एक under pass (50m wide & 4m high) बनाने हेतु संस्तुति की थी। मौके पर तीनों under passage बने मिले। एवं सेंचुरी अथवा इको सेंसिटिव ज़ोन के किसी भाग में कोई श्रमिक कैम्प स्थापित हुआ नहीं मिला। इसके अतिरिक्त श्रमिकों द्वारा किसी प्रकार के वन उत्पाद उपयोग किए जाने का कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है। साथ ही मौके का स्थलीय सत्यापन में मार्ग के प्रारम्भ बिन्दु पर बोर्ड स्थापित मिला। (साक्ष्य हेतु GPS सहित फोटोग्राफ संलग्न है)
24 NEWL clearance needs to be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में यथनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। इस बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से वन्य जीव क्लीयरेंस की अनुमति हेतु प्रस्ताव परिवेश 1.0 पर अपलोड किया गया था। जिसकी अनुमति भारत सरकार के पत्र दिनांक-18.05.2023 द्वारा i से xii शर्तों के अधीन निर्गत की गयी है एवं शर्त सॉ-0-Xii में प्रयोक्ता एजेन्सी को मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उओप्र0 लखनऊ को Annual compliance certificate उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त सनस्त शर्तों की अनुपालन आख्या की Annual compliance report प्रयोक्ता एजेन्सी अपने पत्र सॉ-763/67435 दिनांक-18.07.2025 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
25 An undertaking needs to be submitted by user agency for abiding by all conditions imposed in Wildlife clearance.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में यथनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
26 Undertaking to be given by the user agency for not initiating any works in Protected area (P.A) till clearance from NBWL is obtained. Concerned DFO should ensure that no works are executed in protected area (P.A) till NBWL clearance is obtained.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में यथनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
27 If clearance from NBWL is not granted then this principle approval shall stand revoked promptly and no claim shall be made by the user agency for works done in area outside Protected Area (P.A)	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि समस्त शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन) नई दिल्ली के पत्र सॉ-F.No. WL 6/17/2023 दिनांक-18.05.2023 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन वन्य जीव क्लीयरेंस प्रदान की गयी है।
28 Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC Dt. 29-01-2018.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में यथनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
29 Any other condition that ministry of Environment forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में यथनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

✓

31	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस विन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-पालन के माध्यम से उ0प्र0 कम्पा से जमा कराने की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी गयी है (छाया प्रति संलग्न)।
31	The compliance report on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस विन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि परियोजना से सम्बन्धित समस्त विन्दुओं की विन्दुवार आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपरोक्तानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र सहित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयक प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

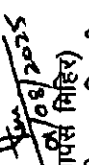
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

संख्या 332 / 33-1 समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

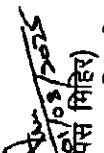
1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, परियोजना क्षेत्र, कानपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0याई0 खण्ड लो0नि0वि0, सोनमढ।

भवदीय


(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।


(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

52

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनमद्र ।

पत्रांक : 814 / 67135

दिनांक 28.07.2025

प्रणामीय वनधिकारी
कैंगूर वन्य जीव प्रभाग,
मीरजापुर ।

विषय :-

जनपद सोनमद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 सोनमद्र द्वारा परतब रो बहुलारी शायक मार्ग (बी0 0000 से 61500 तक) के वी0डीकरण एवं सुगुडीकरण में ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 346725 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर कानूनी प्रयोग एवं बाधक 1114 हे0ों के पतन तथा कैंगूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 1062 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर कानूनी प्रयोग एवं बाधक 194 हे0ों के पतन अर्थात् कुल प्रभावित 452925 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर कानूनी प्रयोग एवं बाधक 1308 हे0ों के पतन की अनुमति के संबंध में ।

सन्दर्भ :-

(1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या एसी/यूपी0/06/251/2021/एफ0पी0/715 दिनांक 04.02.2022, मुख्य वन संसाधक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पत्र संख्या 2315/11-सी-एफ0पी0/यूपी0/रोड/59458/2020 दिनांक 08.02.2022 व प्रणामीय वनधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, सोनमद्र का पत्र संख्या 3055/ओबरा/यूपी0, दिनांक 23.06.2023

(2) आपका पत्रांक- 74/33-1 दिनांक मीरजापुर, जुलाई 13, 2023

(3) आपका पत्रांक- 231/33-1 दिनांक मीरजापुर, अगस्त 02, 2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयक प्रकरण के संबंध में प्रभावित वन भूमि के गैर कानूनी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में सक्षित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (Li-Payment Portal) के माध्यम से जमा करें) रसीद (आन-लाइन प्रति) एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05-05 प्रतियाँ सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है:-

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है ।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over by the user agency.	इस बिन्दु के अनुपालन में खतौनी की प्रति संलग्न है ।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 45.2925 ha. non forest land 4.2263Ha in Vill. Dewhar, 2.70Ha in Perh Patch-1, 1.518Ha. in Perh Patch-2, 1.9045Ha. in Perh Patch-3, 1.20Ha. in Perh Patch-4, 33.7437Ha. in vill. Rampur, range - Robertsganj, District Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 45.2925 हे0 का सतिपूरक वनीकरण की धनराशि ₹0 7483300.00/- (ओबरा वन प्रभाग) दिनांक 22.08.2022 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 150906159458456 एवं ₹0 4646000.00 (कैंगूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) दिनांक 20.10.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 150906159458990 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है ।
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and muted in the name of Forest Department and notified as RF/PPF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under section 4 or section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section of the state forest act as the case may be will be submitted by the State Government prior to stage-II Approval.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि के सम्पक्ष उपलब्ध गैर वन भूमि का चर्चेशन, सीमांकन एवं स्थायी सामों के निर्माण हेतु शर्भित धनराशि ₹0 377128.00/- को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 150906159458990 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है ।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 45.2925 हे0 का एनपी0वी0 की धनराशि ₹0 33208627.00/- (ओबरा वन प्रभाग) दिनांक 22.08.2022 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 150906159458456 एवं ₹0 51906217.00 (कैंगूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) दिनांक 20.10.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC -
6	The State Government shall charge the net present Value (NPV) for the 45.2925 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30-10-2022, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 2021/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Plt. II) dated 18-09-2002, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03-10-2008 and 5-3/2007-FC Dated 05-02-2009	

(Signature)

7	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert Committee, shall be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस बिन्दु के अनुपालन में धनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	All the procedural formalities should be followed in view of the model Code of conduct enforced due to upcoming U.P. State Assembly Election.	इस बिन्दु के अनुपालन में धनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	User agency shall restrict the felling of trees to 1308 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and by the Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित 1114 पीछों/वृक्षों गणना, छपान/पातन हेतु धनराशि ₹ 25622.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रमाणीय वनाधिकारी, औधरा वन प्रभाग, सोनमढ़ एवं 194 पीछों/वृक्षों गणना, छपान/पातन हेतु धनराशि ₹ 4482.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रमाणीय वनाधिकारी, कैंगूर वन्य जीव प्रभाग, गोरजापुर को उपलब्ध करा दिया गया है (डीडी0 की छाया प्रति संलग्न है) एवं वांछित धनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	The Complete Compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनमढ़ द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	इस बिन्दु के अनुपालन में धनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	The user agency shall provided suitable underflow pass in Protected Area/Forest area as per recommendations of CWLW/BNWL/FACREC.	इस बिन्दु के अनुपालन में वनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस बिन्दु के अनुपालन में वनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	The layout plan of the proposal shall not be change without prior approval of Central Government.	इस बिन्दु के अनुपालन में वनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	No labour camp shall be established on the forest land.	इस बिन्दु के अनुपालन में वनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस बिन्दु के अनुपालन में वनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	इस बिन्दु के अनुपालन में वनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
18	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के अनुपालन में वनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
19	The period of diversion this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के अनुपालन में सगस्त शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।
20	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के अनुपालन में वनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
21	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, Department or person without prior approval of Govt. of India.	इस बिन्दु के अनुपालन में वनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WUMP area shall be uploaded on e-green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया है कि प्रस्तावित वन भूमि से सम्बंधित क्षेत्र की कंप्यूटर, सीओ हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को कार्य प्रारम्भ होने से पहले प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रमाण को उपलब्ध करावे जाने के उपरान्त सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

81

23	Site inspection shall be done before issuing approval for state II	इस बिन्दु के अनुपालन में वन्यजन्तुता प्रमाण पत्र संलग्न है।
24	NBWL clearance needs to be submitted	इस बिन्दु के अनुपालन में वन्यजन्तुता प्रमाण पत्र संलग्न है।
25	An undertaking needs to be submitted by user agency for abiding by all conditions imposed in Wildlife clearance.	इस बिन्दु के अनुपालन में वन्यजन्तुता प्रमाण पत्र संलग्न है।
26	Undertaking to be given by the user agency for not initiating any works in Protected area (P A) till clearance from NBWL is obtained. Concerned DFO should ensure that no works are executed in protected rear (P A) till NBWL clearance is obtained.	इस बिन्दु के अनुपालन में वन्यजन्तुता प्रमाण पत्र संलग्न है।
27	If clearance from NBWL is not granted then this principle approval shall stand revoked promptly and no claim shall be made by the user agency for works done in area outside Protected Area (P A)	इस बिन्दु के अनुपालन में सगस्त शर्तें प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य है।
28	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC Dt. 29-01-2018.	इस बिन्दु के अनुपालन में वन्यजन्तुता प्रमाण पत्र संलग्न है।
29	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के अनुपालन में वन्यजन्तुता प्रमाण पत्र संलग्न है।
30	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivash.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परियेश पोर्टल से उत्पन्न ई-बालन के माध्यम से उOप्रO के मा से जमा करने की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी गयी है (आया प्रति संलग्न)।
31	The compliance report on e-portal (https://parivash.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं की विन्डुआर आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उत्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि आपको प्रेषित इस कार्यालय के पत्रांक 849/67135 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा सड़क पटरी पर ब्रिक गार्ड में वृक्षरोपण हेतु 1580883.00 एवं मिट्टिरोपण मेजर्स हेतु 5700000.00 अर्थात कुल रू0 7280883.00 का भुगतान यूपीओआर0 नंबर - SBIN423293773515 द्वारा किया जा चुका है (आया प्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्तानुसार उOप्रO सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में वन्यजन्तुता प्रमाण-पत्र सहित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निगति कराने हेतु अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(प्रशान्त यादव)
अधिसासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0-सोनमद।

दिनांक :

पत्रांक :
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद सोनमद।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त,लो0नि0वि0 वाराणसी।

अधिसासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0-सोनमद।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनैज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-रावर्डसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि का वैधानिक रूप किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं जाने" हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
 गुर्मा रेंज
 कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


 वन्य जीव प्रतिपालक
 कैमूर वन्य जीव विभाग
 बर्ड्स - सोनभद्र

पतिवस्ताभरित


 अधिशासी अभियन्ता
 पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
 लो० नि० वि० सोनभद्र
 प्रभारी वन्दोवस्त
 कैमूर वन्य जीव प्रभाग
 मीरजापुर।


 प्रमाणित अधिकारी
 कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

33.7437 E

293*	0.5900	216/5.320	217/0.090	218/0.010	219/0.010
294*	0.5900	220/2.740	221/0.210	222/0.150	223/0.530
295+	0.0500	224/5.870	225/1.620	226/0.560	227/1.220
298+	0.2000	229/0.130	230/0.050	242/0.210	265/2.570
430*	63.2500	328/64.640	328/0.490	328/0.700	329/0.120
436*	0.7500	328/64.640	328/0.490	328/0.700	329/0.120
624	0.0200	356/0.070	358/0.800	358/0.210	359/0.350
625*	0.3500	356/0.070	358/0.800	358/0.210	359/0.350
626	0.0200	431/92.650	433/0.990	435/1.970	437/40.740
629	0.0500	431/92.650	433/0.990	435/1.970	437/40.740
632	0.1000	431/92.650	433/0.990	435/1.970	437/40.740
788*	0.1000	431/92.650	433/0.990	435/1.970	437/40.740
789*	0.0600	431/92.650	433/0.990	435/1.970	437/40.740
791*	0.1800	431/92.650	433/0.990	435/1.970	437/40.740
790*	0.0200	431/92.650	433/0.990	435/1.970	437/40.740
810*	0.1600	431/92.650	433/0.990	435/1.970	437/40.740
1094*	0.1600	431/92.650	433/0.990	435/1.970	437/40.740
245	0.0100	431/92.650	433/0.990	435/1.970	437/40.740
275	0.4600	431/92.650	433/0.990	435/1.970	437/40.740

1446/0.930	1447/0.560	1448/0.100
1426/0.0900	1442/2.980	1445/1.220
1412/0.1200	1413/0.040	1418/0.030
1409/0.070	1410/0.080	1411/0.300
1376/0.040	1380/0.040	1392/0.080
1362/0.520	1363/0.040	1384/0.100
1350/8.440	1360/1.580	1381/0.490
1309/0.060	1333/0.400	1347/0.020
1306/0.230	1307/0.340	1308/0.130
1296/0.100	1294/0.060	1294/0.100
1302/0.040	1303/1.000	1296/1.500
1298/0.050	1300/0.130	1301/0.160
1287/0.440	1287/0.300	1299/0.650
1281/0.080	1283/0.030	1285/0.040
1332/0.050	1149/0.010	1149/0.040
429/1.760	503/109.270	503/0.200
433/0.370	435/0.170	432/71.780
472/0.830	426/8.360	431/0.040
486/0.350	489/0.380	470/1.040
447/0.050	455/75.820	486/34.760
443/0.360	444/0.110	445/0.060
477/1.540	437/73.620	444/0.040
471/0.070	473/0.270	475/0.030
464/4.140	465/0.100	467/0.020
457/0.530	458/1.070	462/0.820
498/1.990	488/0.170	453/2.170
491/92.650	493/0.990	495/1.970
360/0.270	459/0.150	460/2.250
356/0.070	358/0.800	358/0.210
328/64.640	328/0.490	328/0.700
366/2.370	267/3.460	267/7.000
229/0.130	230/0.050	242/0.210
224/5.870	225/1.620	226/0.560
220/2.740	221/0.210	222/0.150
216/5.320	217/0.090	218/0.010

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्गा देवा

क्षेत्र वन वीथ प्रमाण, बीरगपुर
क्षेत्र वन वीथ प्रमाण, बीरगपुर
क्षेत्र वन वीथ प्रमाण, बीरगपुर

क्षेत्र वन वीथ प्रमाण, बीरगपुर
क्षेत्र वन वीथ प्रमाण, बीरगपुर
क्षेत्र वन वीथ प्रमाण, बीरगपुर





सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 22 जुलाई, 2025

आषाढ़ 31, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1407/81-2-2025-29(15)-2025

लखनऊ, 22 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0-120

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	गाटों के भाग की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
सोनभद्र	राबर्ट्सगंज	विजयगढ़	रामपुर	430ख	—	33.7437	उत्तर-खसरा संख्या-430ख का शेष भाग और खसरा संख्या-430क दक्षिण-खसरा संख्या-461 और 491 पूरब-ग्राम काशी की सरहद, खसरा संख्या-430ख का शेष भाग पश्चिम-खसरा संख्या-430ख का शेष भाग

छायाप्रति प्रमाणित

108 RP/2025 (Paryavaran Anubhag-2) data 8e

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 जुलाई, 2025

1	2	3	4	5	6	7	8
सोनभद्र	राबर्ट्सगंज	विजयगढ़	देवहार	416क मि०	1	0.6986	उत्तर-खसरा संख्या-413, 415 और 416क का शेष भाग दक्षिण-खसरा संख्या-477, 416ख (सड़क) पूरब-खसरा संख्या-417, 415 पश्चिम-खसरा संख्या-416ख (सड़क), 416क का शेष भाग
					2	3.5277	उत्तर-खसरा संख्या-416ख (सड़क), 311, 310, 307, 303, 302, 300, 319 (सड़क) दक्षिण-खसरा संख्या-477 पूरब-खसरा संख्या-416ख (सड़क), 311, 310 पश्चिम-खसरा संख्या-300, 302, 303, 307, 311, 310
			योग	कुल		4.2263	
				2 गाटा		37.97	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1407/LXXXI-2-2025-29(15)-2025, dated July 22, 2025 :

No. 1407/LXXXI-2-2025-29(15)-2025

Dated Lucknow, July 22, 2025

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be 'protected forest' from the date of publication of this notification in the Gazette and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

छायाप्रति प्रमाणित

108 RPH 2025 (Parvavaran Anubhag 2) data 8e

उप प्रशासकीय वनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

SCHEDULE

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Khasra Plot No.	Number of Parts of the Gata	Area (in Hectare)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7	8
Sonbhadra	Robertsganj	Vijaygarh	Rampur	430kh	-	33.7437	North- Remaining part of Khasra No.430kh and Khasra No.430k
							South- Khasra No. 461, 491
			Devahar	416K Mi	1	0.6986	East- Border of Kashi village
							Remaining part of Khasra No.430kh
							West- Remaining part of Khasra No.430kh
					2	3.5277	North- Khasra No.413, 415 and Remaining part of 416k
							South- Khasra No.477, 416kh (Road)
							East- Khasra No. 417, 415
							West-Khasra No. 416kh (Road),
							Remaining part of Khasra No.416k
							North- Khasra No.416kh (Road), 307, 310, 311, 303, 302, 300, 319 (Road)
							South- Khasra No.477
							East- Khasra No. 416kh (Road) 311, 310
							West- Khasra No. 300, 302, 303, 307, 311, 310
Total			2 Gata			4.2263	
						37.97	

प्रति पत्रागिरा

2021

आयापति प्रमाणित

उप प्रभागीय बनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 108 राजपत्र-2025-(299)-599+25=624 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
108 RPH 2025 (Paryavaran Anubhag-2) data 8e

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

सं० 1438/81-2-2025

क्रम-संख्या-114



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 22 जुलाई, 2025

आषाढ़ 31, 1947 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1412/81-2-2025-29(16)-2025

लखनऊ, 22 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0-119

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;
और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा रहा है;
अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करती हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	गाटों के भाग की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
सोनभद्र	घोरावल	बडहर	पेढ	320घ मि	—	2.70	उत्तर-गाटा संख्या 320 (वन भूमि) दक्षिण-गाटा संख्या 320 (वन भूमि) पूरब-गाटा संख्या 320 का शेष भाग पश्चिम-गाटा संख्या 320 (वन भूमि)

आयुक्त प्रमाणित

Signature

107 RPH 2025 (Particulars) data 8c

उप प्रभागिय प्रमाणित
चोपन, ओबरा वन प्रपाग
ओबरा-सोनभद्र

1	2	3	4	5	6	7	8
सोनभद्र	घोरावल	बडहर	पेढ	321घ	1	0.318	उत्तर- गाटा संख्या 396 दक्षिण- गाटा संख्या 395 पूरब- गाटा संख्या 395 व 396 पश्चिम- गाटा संख्या 321 (वन भूमि)
					2	1.20	उत्तर-गाटा संख्या 321 (वन भूमि) दक्षिण- गाटा संख्या 394 (सिरसी सम्पर्क मार्ग) पूरब-गाटा संख्या 395, गाटा संख्या 321 का शेष भाग पश्चिम-गाटा संख्या 321 (वन भूमि)
				401ख मि	1	0.0386	उत्तर-गाटा संख्या 400 (सिरसी सम्पर्क मार्ग) दक्षिण-गाटा संख्या 401 का शेष भाग पूरब-गाटा संख्या 401 (वन भूमि) पश्चिम-गाटा संख्या 401 का शेष भाग
					2	0.1167	उत्तर-गाटा संख्या 401 का शेष भाग दक्षिण- गाटा संख्या 401 का शेष भाग पूरब- गाटा संख्या 401 (वन भूमि) पश्चिम- गाटा संख्या 401 का शेष भाग
					3	1.7492	उत्तर- गाटा संख्या-400 (सिरसी सम्पर्क मार्ग), गाटा संख्या -401 का शेष भाग दक्षिण-गाटा संख्या 401 का शेष भाग पूरब-गाटा संख्या 401 का शेष भाग पश्चिम-गाटा संख्या 401 का शेष भाग
				407मि	-	1.20	उत्तर- गाटा संख्या 401 दक्षिण-गाटा संख्या 406, 872 और गाटा संख्या 407 का शेष भाग पूरब-गाटा संख्या 408 पश्चिम-गाटा संख्या 401, 405, 406 और गाटा संख्या 407-का शेष भाग
			योग	4 गाटा		7.3225	

छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय बनावधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 जुलाई, 2025

3

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1412/LXXXI-2-2025-29(16)-2025, dated July 22, 2025 :

No. 1412/LXXXI-2-2025-29(16)-2025

Dated Lucknow, July 22, 2025

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of section 29 of the aforesaid Act, that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be 'protected forest' from the date of publication of this notification in the *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tahsil	Pargana	Name of Village	Khasra Plot No.	Number of Parts of the Gata	Area (in Hectare)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7	8
Sonebhadra	Ghōrawal	Badahar	Perh	320gh Mi	-	2.70	North-Gata No.320 (Forest Land) South-Gata No.320 (Forest Land) East- Remaining part of Gata No.320 West-Gata No.320 (Forest Land)
				321gh	1	0.318	North-Gata No.396 South-Gata No.395 East- Gata No.395 & 396 West-Gata No.321 (Forest Land)
					2	1.20	North-Gata No.321 (Forest Land) South- Gata No. 394 (Sirasi link road) East- Gata No.395 Remaining part of Gata No.321 West-Gata No.321 (Forest Land)
				401kha Mi	1	0.0386	North-Gata No. 400 (Sirasi link road) South-Remaining part of Gata No.401 East- Gata No.401 (Forest Land) West-Remaining part of Gata No.401

छायाप्रति प्रमाणित

[Signature]

उप प्रभागिय वनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 जुलाई, 2025

1	2	3	4	5	6	7	8
Sonebhadra	Ghorawal	Badahar	Perh		2	0.1167	North-Remaining part of Gata No.401 South-Remaining part of Gata No.401 East- Gata No.401 (Forest land) West-Remaining part of Gata No.401
					3	1.7492	North-Gata No. 400 (Sirasi link road) Remaining part of Gata No.401 South-Remaining part of Gata No.401 East- Remaining part of Gata No.401 West-Remaining part of Gata No.401
			407 Mi			1.20	North-Gata No.401 South-Gata No.406, 872 Remaining part of Gata No.407 East- Gata No.408 West-Gata No.401, 405, 406, Remaining part of Gata No.407
		Total	4 Gata		7.3225		

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय विनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 107 राजपत्र-2025--(298)-599+25=624 प्रतियां (कम्प्यूटर, टी0/ऑफसेट)।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-0.000 से 61.500 तक तहसील- ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रत्यावर्तित वन भूमि के सापेक्ष एन०पी०वी० की धनराशि के अतिरिक्त, मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश/भारत सरकार/उ०प्र० सरकार द्वारा यदि कोई अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी भुगतान किये जाने हेतु "पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील- ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "आगामी विधान सभा चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के मददेनजर सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमाणित वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र
A

ई0 प्रशान्त यादव
अधिशाली अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
खण्ड लो0 नि0 वि0 सोनभद्र

अलग-7

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
PULJEP No 00170

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: PULJEP
Sr. No: 444378

2 4 0 6 2 0 2 2
D D M M Y Y Y Y

प्राप्त करने पर PRABHAGIYA VAN ADHIKARI OBRA V AN PRABHAG
ON DEMAND PAY

या उनके आदेश पर

OR ORDER

RUPEES

Twenty Five Thousand Six Hundred and Twenty Two Only

अदा करें

₹

25622.00

000524799835
Name of Applicant

Key: PULJEP Sr. No: 444378
UP GRAMINE SARAK VIKAS ABHIKAR

AMOUNT BELOW 25623(0/5)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: OBRA

कोड क्र. / CODE No: 01241

[Signature]
K622
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

यदि द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

⑈ 799835⑈ 000002000⑈ 000524⑈ 16

प्रतिहस्ताक्षरित
[Signature]
प्रमाणित वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

[Signature]
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-0.000 से 61.500 तक तहसील- ओबरा, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रभावित वृक्षों के पातन किये जाने एवं ढुलान आदि पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की निर्धारित धनराशि उ०प्र० वन निगम, रेनूकूट द्वारा मांग करने एवं उसे जमा किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित

 प्रभागीय यन्त्राधिकारी
 ओबरा वन प्रभाग
 ओबरा-सोनभद्र

ई० प्रशान्त यादव
 अधिशासी अभियन्ता
 पी० एम० जी० एस० वाई०
 खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

21/12/2023 (10)

21/12/2023-8

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector, Sonabhadra (U.P.)

No.: 1190/67135

Dated: 21/12/2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 03 August 2009, letter No. 11-9/1998-FC (pt) dated 28 October 2014 & State Government Order No. 2083/14-2-2016 Dated 14 September 2016. It is certified that an area of 45.2925 Hectare reserve forest land is proposed to be diverted in favour of P.M.G.S.Y. Division, P.W.D., Sonabhadra for diversion of Package No. UP67135 of Road "Patwadh to Basuhari Road (Ch. 0.000 to 61.500 Km.)" in Sonabhadra district falls within jurisdiction in Robertsganj Tehsil.

It is further certified that the proposal does not involve Recognized Right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities and the "Forest Land" proposed to be diverted is a plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to 13th December 2005 and is located in villages having no recorded population of Schedule Tribes and Others Traditional Forest Dwellers as per the census of 2001 and 2011.


DISTRICT COLLECTOR
SONABHADRA

पत्र संख्या : 213014
 शासक का नाम / पदनाम : सेठ (बहुजा)
 प्रकृति : घोषणा
 अवधि : सोमवार
 पत्रांक नं : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 दिस, 2027)
 पृष्ठ : 1

क्रमांक : ६-५/३६ अधिकांकित लोक कौशल आयोग अधि. अमरावती अतिरिक्त की नू. अधिसूचना द्वारा (क) को म.प्र. लोक कौशल आ. अ. के अधिनियम संख्या १९८३ किन्ती अधिसूचना अधिनियम के तहत किसी कौशल द्वारा रही गयी हो :

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज
विषयक जीव प्रभाग, मीरजापुर

रत्न जीव प्रतिपालक
निरु रत्न जीव विहार
द्वय-रत्नधर

प्रमारी बन्दोबस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर ।

प्रधानीय वनधिकारी
वन्य जीव प्रभाग, नीरजाग

अधिकासी अभियंता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

12-Jul-22, 6:26 PM

संख्या-438781-2-2025

प्रेषक,

सुशान्त शर्मा,

सचिव,

30प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

30प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक २५ जुलाई, 2025

विषय:- जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग के अन्तर्गत कुल प्रभावित 45.2925 हे० वनभूमि के संपेक्ष घोरावल रेंज के ग्राम पेढ में उपलब्ध करायी गयी 7.3225 हे० गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-17/11-बी-6 (धारा-29), दिनांक 10.07.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कह करे, जिसके द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग के अन्तर्गत कुल प्रभावित 45.2925 हे० वनभूमि के संपेक्ष घोरावल रेंज के ग्राम पेढ में उपलब्ध करायी गयी 7.3225 हे० गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में प्रकरण में निर्गत अधिसूचना दिनांक 22.07.2025 की उक्त तिथि को असाधारण गजट में प्रकाशित प्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है की कृपया अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कह करे।

संलग्नक प्रकाशित अधिसूचना की प्रति

Digitally signed by

SUSHANT SHARMA भवदीय,

Date: 24-07-2025

19:03:24

(सुशान्त शर्मा)

सचिव।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 22 जुलाई, 2025

आषाढ़ 31, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1412/81-2-2025-29(16)-2025

लखनऊ, 22 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0-119

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करती है और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	गाटों के भाग की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
सोनभद्र	घोरावल	बड़हर	पेढ	320घ मि	—	2.70	उत्तर-गाटा संख्या 320 (वन भूमि) दक्षिण-गाटा संख्या 320 (वन भूमि) पूरब-गाटा संख्या 320 का शेष भाग पश्चिम-गाटा संख्या 320 (वन भूमि)

1	2	3	4	5	6	7	8			
सोनभद्र	घोरावल	बडहर	पेट	321घ	1	0.318	उत्तर- गाटा संख्या 396 दक्षिण- गाटा संख्या 395 पूरब- गाटा संख्या 395 व 396 पश्चिम- गाटा संख्या 321 (वन भूमि)			
					2	1.20	उत्तर-गाटा संख्या 321 (वन भूमि) दक्षिण- गाटा संख्या 394 (सिरसी सम्पर्क मार्ग) पूरब-गाटा संख्या 395, गाटा संख्या 321 का शेष भाग पश्चिम-गाटा संख्या 321 (वन भूमि)			
				401ख मि	1	0.0388	उत्तर-गाटा संख्या 400 (सिरसी सम्पर्क मार्ग) दक्षिण-गाटा संख्या 401 का शेष भाग पूरब-गाटा संख्या 401 (वन भूमि) पश्चिम-गाटा संख्या 401 का शेष भाग			
					2	0.1167	उत्तर-गाटा संख्या 401 का शेष भाग दक्षिण- गाटा संख्या 401 का शेष भाग पूरब- गाटा संख्या 401 (वन भूमि) पश्चिम- गाटा संख्या 401 का शेष भाग			
					3	1.7492	उत्तर- गाटा संख्या-400 (सिरसी सम्पर्क मार्ग), गाटा संख्या -401 का शेष भाग दक्षिण-गाटा संख्या 401 का शेष भाग पूरब-गाटा संख्या 401 का शेष भाग पश्चिम-गाटा संख्या 401 का शेष भाग			
				407मि	-	1.20	उत्तर- गाटा संख्या 401 दक्षिण-गाटा संख्या 406, 872 और गाटा संख्या 407 का शेष भाग पूरब-गाटा संख्या 408 पश्चिम-गाटा संख्या 401, 405, 406 और गाटा संख्या 407-का शेष भाग			
				योग				4 गाटा	7.3225	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1412/LXXXI-2-2025-29(16)-2025, dated July 22, 2025 :

No. 1412/LXXXI-2-2025-29(16)-2025

Dated Lucknow, July 22, 2025

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of section 29 of the aforesaid Act, that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be 'protected forest' from the date of publication of this notification in the *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tahsil	Pargana	Name of Village	Khasra Plot No.	Number of Parts of the Gata	Area (in Hectare)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7	8
Sonebhadra	Ghorawal	Badahar	Perh	320gh Mi	-	2.70	North-Gata No.320 (Forest Land) South-Gata No.320 (Forest Land) East- Remaining part of Gata No.320 West-Gata No.320 (Forest Land)
				321gh	1	0.318	North-Gata No.396 South-Gata No.395 East- Gata No.395 & 396 West-Gata No.321 (Forest Land)
					2	1.20	North-Gata No.321 (Forest Land) South- Gata No. 394 (Sirasi link road) East- Gata No.395 Remaining part of Gata No.321 West-Gata No.321 (Forest Land)
				401kha Mi	1	0.0386	North-Gata No. 400 (Sirasi link road) South-Remaining part of Gata No.401 East- Gata No.401 (Forest Land) West-Remaining part of Gata No.401

1	2	3	4	5	6	7	8
Sonbhadra	Ghorawal	Badahar	Perh		2	0.1167	North-Remaining part of Gata No.401 South-Remaining part of Gata No.401 East- Gata No.401 (Forest land) West-Remaining part of Gata No.401
					3	1.7492	North-Gata No. 400 (Sirasi link road) Remaining part of Gata No.401 South-Remaining part of Gata No.401 East- Remaining part of Gata No.401 West-Remaining part of Gata No.401
				407 Mi	-	1.20	North-Gata No.401 South-Gata No.406, 872 Remaining part of Gata No.407 East- Gata No.408 West-Gata No.401, 405, 406, Remaining part of Gata No.407
			Total	4 Gata	7.3225		

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

श्री ६ - ०३ १६
ओमरा न
५ भण

6:57 PM

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-06-2022

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	6159458456
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/251/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonbhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonbhadra.) Sonbhadra
Amount(In Rs)	40691927/-

Amount In Words :Four Crore Six Lakh Ninety-One Thousand Nine Hundred and Twenty-Seven Rupees Only

SBINS22475165138

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150906159458456 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-06-2022

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	6159458456
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/251/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonbhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonbhadra.) Sonbhadra
Amount(In Rs)	40691927/-

Amount In Words :Four Crore Six Lakh Ninety-One Thousand Nine Hundred and Twenty-Seven Rupees Only

SBINS22475165138

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150906159458456 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Kanhaya Jha
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonbhadra

Kanhaya Jha
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonbhadra

आदेशाती आणि
लो० नि० ति.

clearance.nic.in/User/Account/Net_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD5945-12020456

1/1

केन्द्रीय वनस्पति

गुर्मा रंज

नगर जीव प्रमाण औरजापर

देश वयजीव
५५७)

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcslbr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

*** This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

19 OCT 2023

प्रमारी बैन्दोयरत
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
भीरजापुर ।

वन्धु जीव प्रतिपालक
किमूर वन्धु जीव विहार
धर्म - सोनभट्ट

प्रधानमन्त्री वनविधिवरी
केसर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से ६१.५०० तक तहसील-रावर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रत्यावर्तित वन भूमि के सापेक्ष एन०पी०वी० की घनराशि के अतिरिक्त, मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश/भारत सरकार/उ०प्र० सरकार द्वारा यदि कोई अतिरिक्त घनराशि की मांग की जाती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी भुगतान किये जाने हेतु "पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

आदेशासौ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
सो० नि० वि० सोनभद्र



क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर



वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
बर्ड - सोनभद्र



प्रभारी यन्दोयस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

पातकस्तावरित



प्रमाणित वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से ८१.५०० तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनमद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "आगागी विधान सभा चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

E

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
बर्क - सोनमद्र

प्रभारी वन्दोवरत
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागाय वनाधिकारी
- कैमूर प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवघ से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से ६१.५०० तक तहसील-रावर्दसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "प्रभावित वृक्षों के पातन किये जाने एवं दुलान आदि पर होने वाले व्यय की निर्धारित धनराशि रु० ३० प्र० वन निगम, रेनूकूट द्वारा मांग करने एवं उसे जमा किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

आधिकाता ७/११/७७
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र


क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
रावर्द - सोनभद्र


प्रभारी बन्दोबरस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रतिबिम्बित

प्रभावित वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागध्यक्ष वनप्रविक्षरी
कैमर वन्य जीव प्रभाग, भीरजा

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
TYPE No 00170

मांगद्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key PULJEP
Sr No 444378

24062022
D D M M Y Y Y

या उनके आदेश पर
OR ORDER

प्रभो जानेवर PRABHAGIYA VAN ADHIKARI OBRA V AN PRABHAGIYA
ON DEMAND PAY
RUPEES

Twenty Five Thousand Six Hundred and Twenty Two Only

अदा करें ₹ 25622.00

00052479835
Name of Applicant

Key PULJEP Sr No: 444378
UP GRAMINE SARAK VIKAS ABHIKAR

AMOUNT BELOW 25623(0/5)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

[Signature]
K. 822
आधिकृत हस्ताक्षर
AUTHORIZED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH OBRA
कोड नं. / CODE No 01241

INSTRUMENTS FOR ₹ 1 LAKH & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

यह दस्तावेज कंप्यूटर द्वारा प्रिंट किया गया है
PRINTED BY COMPUTER

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

799835 0000020001 000524 16

अधिकारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
छो० नि० वि० मोनमद्र

अधीनस्थ वनाधिकारी
गुर्मा रंज
कनूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

11/08/23

5

कार्यालय :- प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उ० प्र० वन निगम, रेनुकूट

पुरा चौकड़ा विक्टोरिया इन्फोस्ट्रेट्स लि० के लीये प्रथम मंता पिपरी सोलार 231221

वेबसाइट- www.upforestcorporation.co.in

पत्रांक 877

सेवा में

अधिशारी अभियन्ता
पी०एन०जी०एस०दाई० छाउ
लोक निर्माण विभाग, सोनगढ़।

विषय :-

ओदरा वन प्रभाग की लाट सं० 23 से 31/2022-23 के घातन/दुलान व अन्य व्ययों से
सम्बन्धित अनुमानित मांग पत्र के प्रेषण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

इस कार्यालय के पत्र सं०-591 दिनांक 19.05.2023

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से ओदरा वन प्रभाग के तरिया रेंज की लाट सं० 23 से 31/2022-23 (09 लाट) कुल 1066 वृक्ष पटव्य (टिकडाडाड) ससनई से पनुहारी मार्ग कि०मी० 20 से 61.50 तक चौडीकरण एवं सुदुडीकरण हेतु मार्ग में बायक दूधों का घातन/दुलान व अन्य कार्य वन निगम द्वारा कराया जाता प्रस्तावित है। शासनादेश के अनुसार प्रेषित मांग पत्र के जन में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य अग्रिम/घनराशि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। परन्तु आज दिनांक 11.08.2023 तक सलग्न प्राकलन के अनुसार रु०- 24,81,083.00 (चौबीस लाख इकाली हजार अठ्ठासी मात्र) को M.D U.P. Forest Corporation के नव नाम से संचालित जाते में ऊपर०टी०जी०एस० के माध्यम से अभी तक जमा नही कराया गया है। जिसके कारण कटान/दुलान कार्य तथित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रेषित मांग पत्र के अनुसार घातन/दुलान व अन्य कार्य पर पर व्यय होने वाली घनराशि रु. 24,81,083.00 (चौबीस लाख इकाली हजार अठ्ठासी मात्र) को क्या शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे नाहन/दुलान कार्य समाप्तित कराया जा सके।

D.A.O. / Carriage / 11/8/23

महोदय

(प्रमाणित)

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उ० प्र० वन निगम, रेनुकूट।

पत्रांक 877

तददिनांक

प्रतिलिपि :- 01. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० वन निगम, प्रयागराज, महोदय को सूचनाार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रेषित प्राकलन को प्रतिहस्ताक्षरित कर यथाशीघ्र वापस करने का कष्ट करें।

02. जिलाधिकारी, महोदय सोनगढ़ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रमाणित)

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उ० प्र० वन निगम, रेनुकूट।

Counter foil



SBI

भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

Branch

Date ... 01.11.2024

Received ₹ ... 24,01,000/-

From C.C.P.M.S.X.D.V.P.W.D. Sone

For remittance of NEFT/RTGS by way of

(i) Transfer (only NEFT), (ii) Cash (only

NEFT), (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using

cheque No. ... 702795- dt 05.04.2024

favouring श्री. च. निदेश. उ. उ. व. न

नगर

A/c No. 29690200015024..

IFSC Code BARB02INDIRA.

Beneficiary Bank & Branch बैंक अ. उ. उ.

व. ग. द. मुरा. पुलिसा. डी. वि. नगर. ल. 2 व. न. क.

Amount ₹ ... 24,01,000/-

Bank's Charges ₹ ... Nil

Total ₹ ... 24,01,000/-

(Rupees Twenty Four

02,21,000/- only) in words

For office Use,

UTR No.

SBIINR324055510173

E



क्षेत्रीय वनाधिकारी

गुर्मा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

Scanned with OKEN Scanner

er

21/12/23 (10)

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector, Sonbhadra (U.P.)

No.: 1190/67135

Dated: 12/12/2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 03 August 2009, letter No. 11-9/1998-FC (pt) dated 28 October 2014 & State Government Order No. 2083/14-2-2016 Dated 14 September 2016. It is certified that an area of 45.2925 Hectare reserve forest land is proposed to be diverted in favour of P.M.G.S.Y. Division, P.W.D., Sonbhadra for diversion of Package No. UP67135 of Road "Patwadh to Basuhari Road (Ch. 0.000 to 61.500 Km.)" in Sonbhadra district falls within jurisdiction in Robertsganj Tehsil.

It is further certified that the proposal does not involve Recognized Right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities and the "Forest Land" proposed to be diverted is a plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to 13th December 2005 and is located in villages having no recorded population of Schedule Tribes and Others Traditional Forest Dwellers as per the census of 2001 and 2011.


DISTRICT COLLECTOR
SONBHADRA



बेनीय कनाधिकारी
गुर्मा रैज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, नौराजपुर

शर्तें-⑪

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवघ से बसुहारी मार्ग, भैनेज नं०-०.००० से ६१.५०० तक तहसील-राबर्दसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के समय प्रयोक्ता एंजेन्सी उपयुक्त स्थान पर साईन बोर्ड स्थापित किये जाने हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुर्गा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
खण्ड-सोनभद्र

प्रभारी सन्दीपरत
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रतिहस्ताक्षर

प्रशासक वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

आवधिकार पत्र
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

शर्तें (12)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से ६१.५०० तक तहसील-राबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "CW/LW/NBWL/FAC/REC की सिफारिसों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रों में उपयुक्त अण्डर/ओवरपास उपलब्ध कराये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

अतिरिक्त अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
नौ० सि० वि० सोनभद्र

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
चर्क-सोनभद्र

प्रभारी दन्तचरित
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

पातेरुस्ताक्षरित

प्रमाणाय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवघ से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से ६१.५०० तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "पर्यावरण संरक्षक अधिनियम १९८६ के प्राविधानों के अनुसार (यदि लागू हो तो) पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

अधिसूची अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

अनाय वनाधिकारी
गुर्मा रंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विभाग
बर्दा - सोनभद्र

प्रमारी बन्दोयस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रातहस्ताक्षरित

प्रभाग प्रमारी वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

21/11/15

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-राबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदले जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।



क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
बर्द-सोनभद्र


प्रभारी वन्दोवरत
कैमूर वन्य जीव प्रभाग पातकस्तारित
मीरजापुर।


प्रमाणित वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


क्षेत्रीय वनाधिकारी
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र

शर्त नं० (15)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवघ से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-0.000 से 61.500 तक तहसील-राबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, भीरजापुर

अन्य जीव प्रभारिता
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
जिला-सोनभद्र

प्रभारी वन्दोवरत
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
भीरजापुर।

प्रतिदस्तावेजित

प्रमाणित वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, भीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवघ से बरुहारी मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से ६१.५०० तक तहसील-राबर्दरागंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रयोक्ता एजेन्सी वन विभाग या वन निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य श्रोत से खरीद कर पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, वैकल्पिक ईंधन गजदूरी को दिये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।



क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर



वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विभाग
चर्क - सोनभद्र



प्रभारी बन्दोवस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रतिहस्ताक्षरित



प्रयोग्य वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

अधिशर्सी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
जो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवस से बसुहारी मार्ग, चीनेज नं०-०००० से ६१.५०० तक तहसील-रावर्ट्सागंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौकीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन भूमि की सीमा का उपयुक्त सीमांकन में होने वाले व्यय को किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।



क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुर्गा रोज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर



प्रमाणित किया जाता है
लोक निर्माण विभाग
सोनभद्र जिला

प्रभारी बन्दोबरत
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

पातकस्तुखारित



प्रमाणित वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवघ से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से ६१.५०० तक तहसील-रायटसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "परियोजना कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई नवीन पथ का निर्माण नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

अधिशाला अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
बर्फ-सोनभद्र

प्रभारी वन्दोवरत
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

पातेहस्ताक्षरित

प्रयोगीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

मार्त ई (28)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से मसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से ६१.५०० तक तहसील-राबर्टसागंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्गा रंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


एन्य जीव प्रभाग
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर


प्रभारी वन्यावरत
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रतिष्ठित


प्रभाग वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


अधिशाली अधिवक्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवघ से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से ६१.५०० तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।



क्षेत्रीय वनाधिकारी

गुर्मा रंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, सीरजापुर



वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
बर्ड-सोनभद्र


आयशासक, सीरजापुर
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
सो० नि० वि० सोनभद्र


प्रभारी वन्दोयस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
सीरजापुर।

प्रातिहस्ताक्षरित



प्रमाणित वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, सीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवघ से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-राबर्दसागंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "स्टेज-2 हेतु अनुगोदन जारी करने से पूर्व स्थल निरीक्षण हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

[Signature]

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

[Signature]

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
बर्क-सोनभद्र

[Signature]
प्रमाणित किया जाता है
पटवघ से बसुहारी
मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक

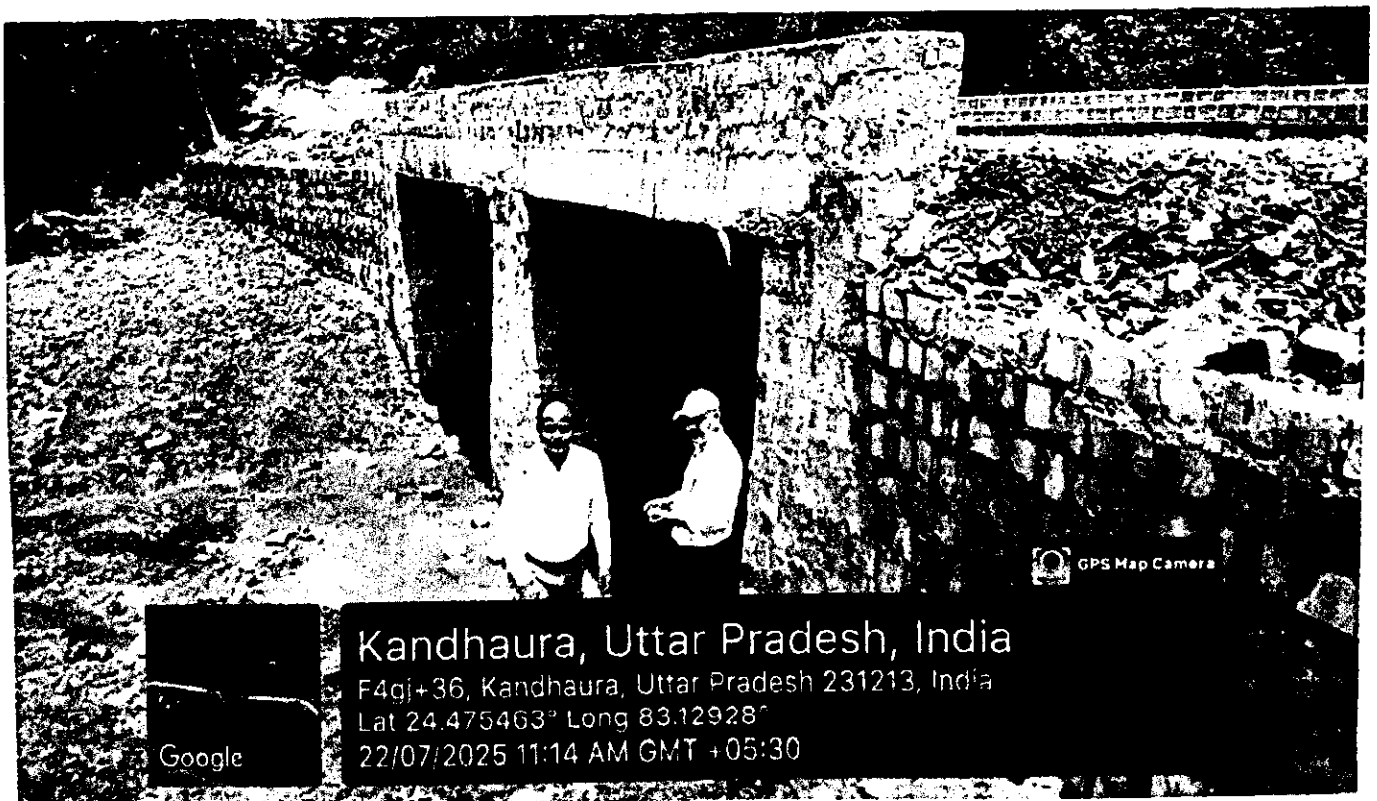
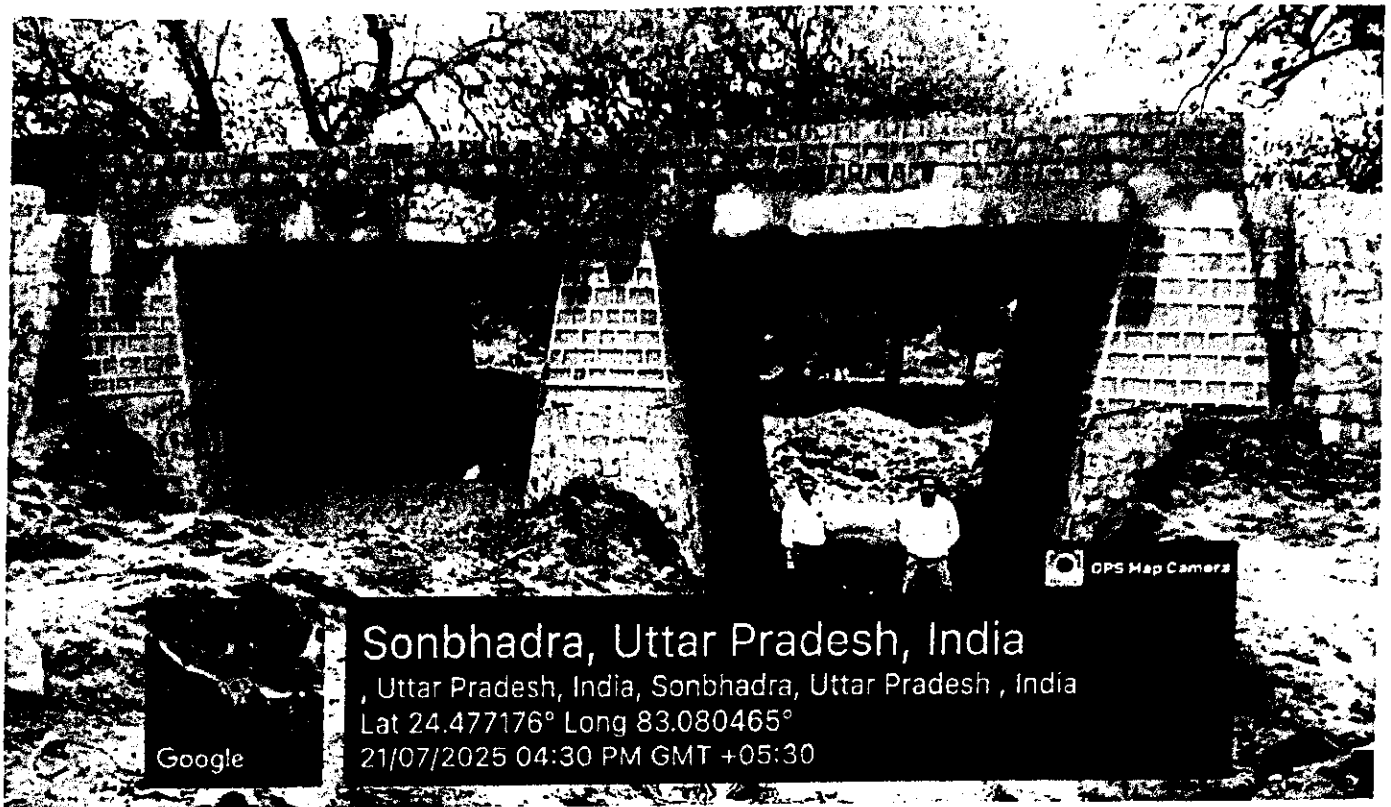
प्रभारी वन्दोवस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

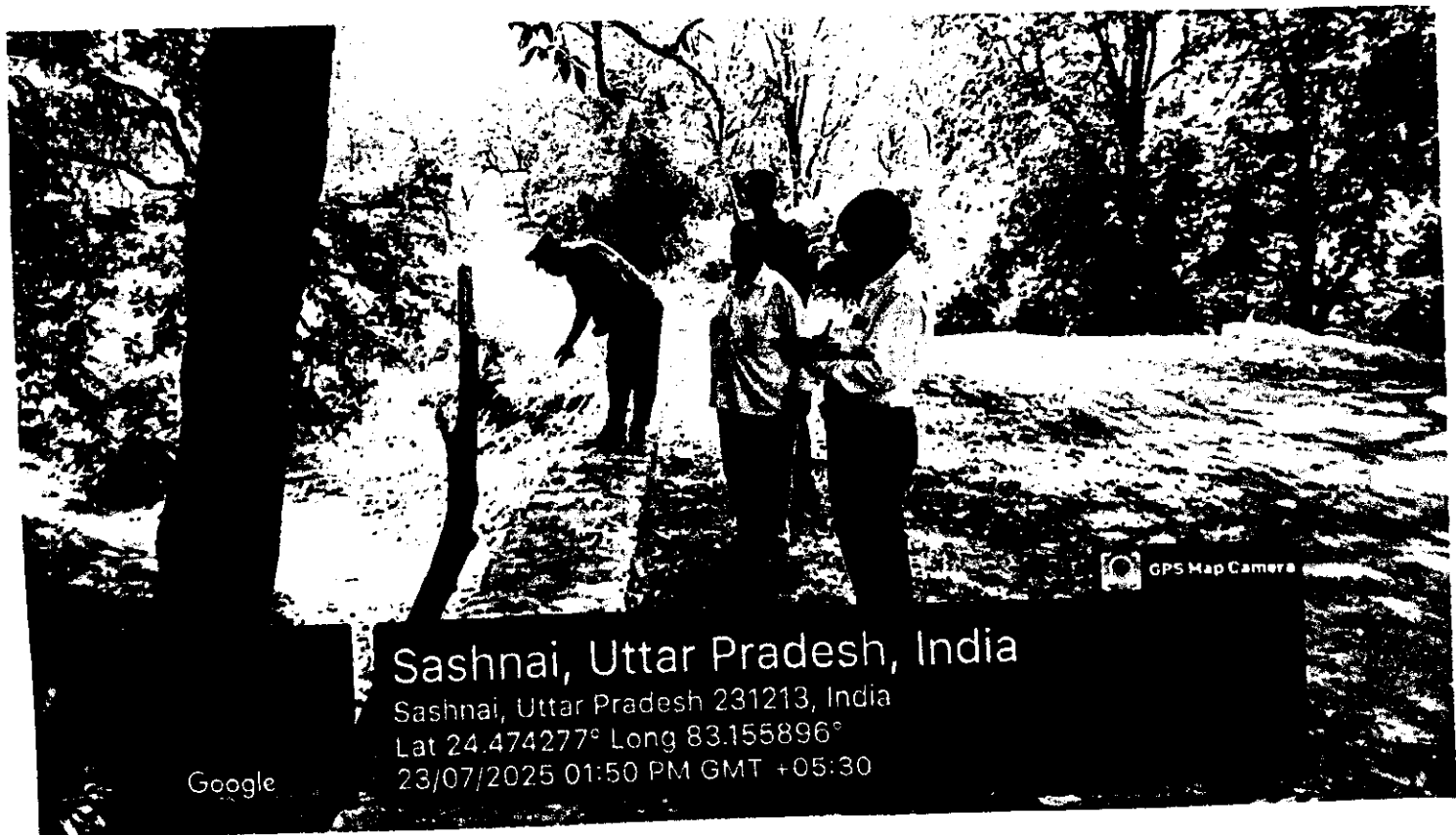
प्रतिस्थापित

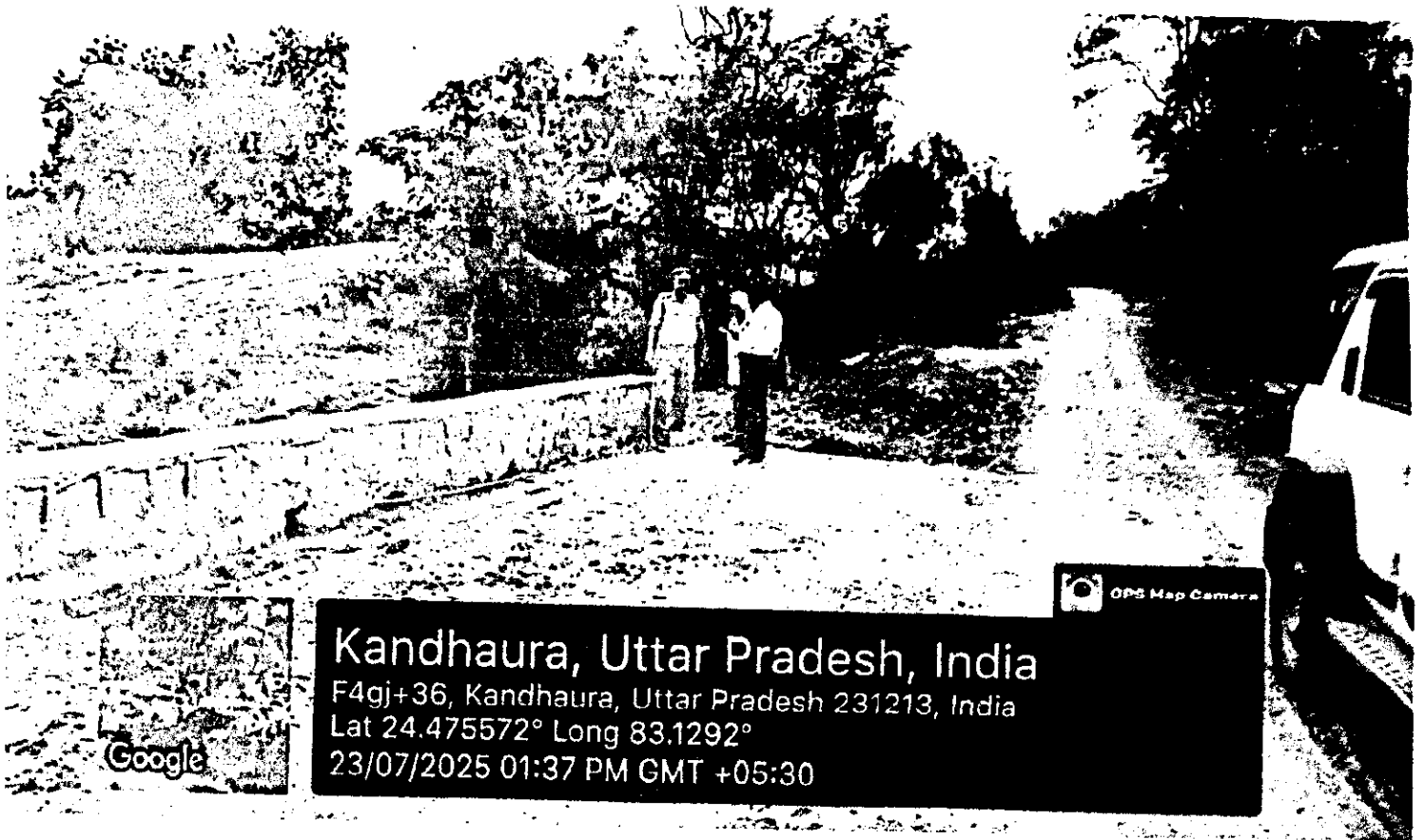
[Signature]

प्रमाणित वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

दिनांक 21.07.2025-23.07.2025 के मध्य प्रयोक्ता एजेन्सी, क्षेत्रीय वन अधिकारी गुर्मा एवं वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चर्क-सोनभद्र द्वारा पटवर्ध-बसुहारी मार्ग (FP/UP/ROAD/59458/2020) के स्थलीय सत्यापन का फोटोग्राफ्स





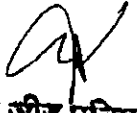


वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से ६१.५०० तक तहसील-रावर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रयोक्ता एजेन्सी एन०बी०डब्लू०एल० क्लीयरेंस प्राप्त कर जमा किये जाने हेतु " पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

आदेशित
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र


क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्गा रेंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, सी०ए०ए०


वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विभाग
बर्क - सोनभद्र

प्रतिष्ठित


प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, सी०ए०ए०

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र।

पत्रांक : 163/67135

दिनांक : 18/07/2025

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
जनपद गीरजापुर।

विषय :-

Proposal of use of 15.1577 ha. (9.4722 ha. Forest land + 5.6855 ha. of non forest land) from kaimoor wild sanctuary for widening & strengthening of Patwadh to Basuhari road from km. No 0.000 to 61.500 under road connectivity project on left wing extremism area (RCPLWEFA) in tehsil: Robertsganj, District-Sonebhadra under PMGSY, Uttar Pradesh-FP/UP/ROAD/59458/2020

सन्दर्भ :-

- (1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन) नई दिल्ली के पत्रांक F.No. WL-6/17/2023 दिनांक 16.05.2023
- (2) आपका पत्रांक- 2923/33-1 दि० 17-06-2023
- (3) आपका पत्रांक- 123/33-1 कैमूर दि० 15-07-2025
- (4) इस कार्यालय का पत्रांक- 356/67135 दि० 22-04-2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित इस कार्यालय के पत्रांक 356/67135 दिनांक 22.04.2024 के द्वारा प्रश्नगत मार्ग की बिन्दुवार अनुपालन आख्या जमा की गयी धनराशि की रसीद एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्रों के साथ पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में आपके कार्यालय पत्रांक 123/33-1 कैमूर दि० 15-07-2025 के क्रम में पुनः अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
1	The animal passage plan will be prepared by WII.	इस बिन्दु के अनुपालन में अग्रगत करना है कि Animal Passage Plan भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक WII/AE&CB/BH/Kaimoor_Road/2023-01 दिनांक 27.01.2024 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। अभिलेख संलग्न है।
2	The legal status of the land shall remain unchanged. The user agency will have right only for construction, maintenance and use of the road and the land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्ण रूप से किया जा रहा है।
3	As forest land and trees standing over it are also involved in the project, Forest Clearance as per provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 will also be required and user agency will be required to comply all conditions stipulated in forest clearance under Forest (Conservation) Act, 1980.	इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्ण रूप से किया जा रहा है।
4	Amount of Net Present Value (N.P.V.) shall be paid by the User Agency as per directions issued by Ministry of Environment of Forest (FC Division), New Delhi vide letter No.F.No.5-3/2007-FC dated 05.02.2009 for proposed forest land 18.00 ha land within Kaimur WLS and its ESZ.	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित धनराशि के भुगतान वन विभाग को चालान (UTR NO-SBIN223292470573 Date-19-10-2023) द्वारा किया जा चुका है। छायाप्रति संलग्न है।
5	The user agency shall provide 2% of the proportionate cost of the project falling inside protected area and eco-sensitive zone for mitigation of negative impact and ecological development of wildlife habitat area as per guidelines of Government of India. This amount will be spent on the mitigation measures within the same protected area.	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित धनराशि के भुगतान वन विभाग को चालान (UTR NO-SBIN423293773515 Date-20-10-2023) द्वारा किया जा चुका है। छायाप्रति संलग्न है।

6	The personnel of user agency working on the site should be well aware and shall be bound to follow the provisions of Wild Life (Protection) Act, 1972.	इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्ण रूप से किया जा रहा है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्यस्थल पर नामित कर्मचारी wild life (protected) Act 1972 के प्रावधानों से अवगत हैं।
7	The user agency will ensure that no labour camp shall be established inside the sanctuary or any other sensitive area in its eco-sensitive zone. Neither firewood nor any other forest produce from the forest will be used.	इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्ण रूप से किया जा रहा है।
8	The user agency will keep firefighting equipment's as well as equipment for minimizing air and noise pollution at the site.	इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्ण रूप से किया जा रहा है तथा कार्यस्थल पर firefighting equipment's उपलब्ध है तथा वायु एवं ध्वनी प्रदूषण को कम करने उचित प्रयत्न किया गया है।
9	During the construction period, the user agency will establish one temporary forest check post along with the required manpower at its own cost.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि Temporary forest check post बनाया गया था। वर्तमान में कार्यनिर्माता की अग्रिम समाप्त होने के उपरान्त हटा दिया गया है जिसे स्टेशन-2 की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः स्थापित कर दिया जायेगा।
10	User agency will fix sign board at appropriate point of the project.	इस बिन्दु के अनुपालन में मार्ग पर प्रारम्भ में एवं अन्तिम बिन्दु पर बोर्ड स्थापित किया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। मार्ग निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त समस्त आवश्यक स्थानों पर प्राविधानित साइनबोर्ड लगाये जायेंगे।
11	Construction waste materials shall not be thrown inside the protected forest area or eco-sensitive zone area or on the movement corridor of Wildlife.	इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्ण रूप से किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का Construction waste materials protected forest area or eco-sensitive zone area में नहीं फेंका जा रहा है।
12	No work shall be allowed from sunset to sunrise.	इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्ण रूप से किया जा रहा है।
13	User agency will take all precautions including technical measures to contain the noise and air pollution, protection from fire due to during construction activities and shall also obtain consent to operate the project work from U.P. Pollution Control Board and effectively implement all the conditions stipulated therein.	इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्ण रूप से किया जा रहा है।
14	The project proponent shall undertake plantation/afforestation work by planting the 378 plants of native species in the buffer area of the sanctuary to compensate the felling of 194 trees during the construction of proposed road, for which necessary finance will be provided by the user agency as per the proposal put up by Divisional Forest Officer, Kaimur Wildlife Sanctuary, Mirzapur after approval of Chief Wild Life Warden.	इस बिन्दु के अनुपालन में कैमूर वन्य जीव प्रभाग द्वारा योजित समस्त धनराशि का भुगतान घातान (UTR NO-SBIN423293773515 Date-20-10-2023) एवं बैंक ड्राफ्ट सं0(269806) द्वारा किया जा चुका है, छायाप्रति संलग्न है।
15	User agency shall prepare and submit the Animal Passage Plan.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि Animal Passage Plan भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक WIAE&CB/BH/Kaimoor_Road/2023-01 दिनांक 27.01.2024 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। अभिलेख संलग्न है।

16	Blasted ammunition materials shall not be carried by user agency in wildlife area.	इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्ण रूप से किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का Blasted ammunition materials का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
17	The annual compliance certificate on the stipulated conditions should be submitted by the project proponent to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government of India.	इस शर्त के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। Annual compliance certificate संलग्न है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 15.04.2024 को वन विभाग द्वारा दी गयी कार्यानुमति की अवधि समाप्त हो गयी है, जिसके उपरान्त वर्तमान में निर्माण कार्य रोक दिया गया है जिस कारण स्टेज-2 की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः कार्य प्रारम्भ करने के उपरान्त Annual compliance certificate पुनः प्रेषित किया जायेगा।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

अधिसूची अमियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०-सोनमर।

पत्रांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद सोनमर।
- 2- अधीक्षण अमियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० वाराणसी।

अधिसूची अमियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०-सोनमर।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवघ से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से ६१.५०० तक तटरील-रावर्टसागंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन्य जीव मंजूरी में लगायी गयी सभी शर्तों का पालन किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

अधिसूचना जमिन्दार
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र



क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्गा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर



वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विभाग
बर्क - सोनभद्र



प्रभारी वन्दोयस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रातिष्ठस्थारित



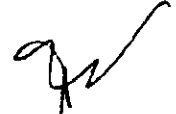
प्रमाणित वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

शत सं (26)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवघ से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं0-0.000 से 61.500 तक तहसील-रायट्सगंज, जिला-सोनमद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिना एन0बी0डब्लू0एल0 से मंजूरी प्राप्त किये संरक्षित क्षेत्र में कोई कार्य शुरू न करने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुर्गा रेंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


वन्य जीव प्रशिक्षक
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
अर्क - सोनमद्र


प्रभारी निदेशिका
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रातहस्ताक्षर

प्रभागिय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुर्गा रेंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

F. No. WL-6/17/2023-WL
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Wildlife Division)

2nd Floor, Vayu Wing,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, New Delhi 110003.
Date: 16th May, 2023

To,

The Additional Chief Secretary,
Department of Environment & Forests,
Government of Uttar Pradesh,
17, Rana Pratap Marg,
Lucknow-226001.

Sub: Proposal for use of 15.1577 ha (9.4722 ha forest land + 5.6855 ha of non-forest land) from Kaimur Wildlife Sanctuary for widening & strengthening of Patwadh to Basuhari road from km. No. 0.000 to 61.500 under road connectivity project on left wing extremism area (RCPLWEA) in Tehsil: - Robertsganj, district, Sonbhadra under PMGSY, Uttar Pradesh-FP/UP/ROAD/59458/2020.

Sir,

Reference is invited to the subject mentioned above. The 72nd Meeting of Standing Committee of National Board for Wild Life was held on 25th April, 2023 under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Environment, Forest & Climate Change.

2. After discussion, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to the following conditions:

- i. The animal passage plan will be prepared by WII.
- ii. The legal status of the land shall remain unchanged. The user agency will have right only for construction, maintenance and use of the road and the land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
- iii. As forest land and trees standing over it are also involved in the project, Forest Clearance as per provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 will also be required and user agency will be required to comply all conditions stipulated in forest clearance under Forest (Conservation) Act, 1980.
- iv. Amount of Net Present Value (N.P.V.) shall be paid by the User Agency as per directions issued by Ministry of Environment of Forest (FC Division), New Delhi vide letter. No.F.No.5-3/2007-FC dated



05.02.2009 for proposed forest land 18.00 ha land within Kaimur WLS and its ESZ.

- v. The user agency shall provide 2% of the proportionate cost of the project falling inside protected area and eco-sensitive zone for mitigation of negative impact and ecological development of wildlife habitat area as per guidelines of Government of India. This amount will be spent on the mitigation measures within the same protected area.
- vi. The personnel of user agency working on the site should be well aware and shall be bound to follow the provisions of Wild Life (Protection) Act, 1972.
- vii. The user agency will ensure that no labour camp shall be established inside the sanctuary or any other sensitive area in its eco-sensitive zone. Neither firewood nor any other forest produce from the forest will be used.
- viii. The user agency will keep firefighting equipment's as well as equipment for minimizing air and noise pollution at the site.
- ix. During the construction period, the user agency will establish one temporary forest check post along with the required manpower at its own cost.
- x. User agency will fix sign board at appropriate point of the project.
- xi. Construction waste materials shall not be thrown inside the protected forest area or eco-sensitive zone area or on the movement corridor of Wildlife.
- xii. No work shall be allowed from sunset to sunrise.
- xiii. User agency will take all precautions including technical measures to contain the noise and air pollution, protection from fire due to during construction activities and shall also obtain consent to operate the project work from U.P. Pollution Control Board and effectively implement all the conditions stipulated therein.
- xiv. The project proponent shall undertake plantation/afforestation work by planting the 378 plants of native species in the buffer area of the sanctuary to compensate the felling of 194 trees during the construction of proposed road, for which necessary finance will be provided by the user agency as per the proposal put up by Divisional Forest Officer, Kaimur Wildlife Sanctuary, Mirzapur after approval of Chief Wild Life Warden.
- xv. User agency shall prepare and submit the Animal Passage Plan.
- xvi. Blasted ammunition materials shall not be carried by user agency in wildlife area.
- xvii. The annual compliance certificate on the stipulated conditions should be submitted by the project proponent to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government of India.

3. The minutes of the meeting have been posted online in the "PARIVESH" portal of this Ministry.

Yours faithfully,



(Dr. Sudheer Chintalapati)

Scientist 'E'

Email: sudheer.ch@gov.in

Copy to:

1. Chief Wild Life Warden, Department of Environment & Forests, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow-226001.
2. Deputy Director General of Forests, Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow-226020.
3. Inspector General of Forests, FC Division, MoEF&CC.
4. Joint Secretary, IA Division, MoEF&CC.



(Dr. Sudheer Chintalapati)

Scientist 'E'

Email: sudheer.ch@gov.in

21/11/2020

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-0.000 से 61.500 तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "समस्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

जिला वनाधिकारी

मुर्गा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विभाग
बर्क - सोनभद्र

प्रातिहस्ताक्षरित

प्रभागध्यक्ष वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

आधेशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवघ से बसुहारी मार्ग, चैनेज नं०-०.००० से ६१.५०० तक तहसील-रायदसागंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित घौडीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समयानुसार जारी दिशा निर्देश का अनुपालन प्रयोक्ता अधिकरण अनुपालन हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


प्रकाश चन्द्रा
बुर्मा रोज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


प्रकाश चन्द्रा
बुर्मा रोज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


प्रभारी यन्त्रोपकरण
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रातिष्ठस्थारित


प्रभागिय बनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

AGENCY COPY	
यूनियन बैंक Union Bank NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds Date : 20-10-2023	
Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	5159458990
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonebhadra
Amount(in Rs)	7280883/-
Amount in Words .Seventy-Two Lakh Eighty Thousand Eight Hundred and Eighty-Three Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150906159458990 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
यूनियन बैंक Union Bank NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds Date : 20-10-2023	
Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	5159458990
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonebhadra
Amount(in Rs)	7280883/-
Amount in Words .Seventy-Two Lakh Eighty Thousand Eight Hundred and Eighty-Three Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150906159458990 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra

SBIN 423293773515

केन्द्रीय वन्यजीव
मुर्गा रेंज
केन्द्रीय वन्य जीव प्रभाग, सोनभद्र

वन्य जीव प्रतिपालक
केन्द्रीय वन्य जीव विहार
वर्क - सोनभद्र

